


बजट अध्ययन : एक परिचय

(Budget Study : An Introduction)

राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में



मुकेश कुमार बंसल

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

बजट अध्ययन : एक परिचय

(Budget Study : An Introduction)

राजस्थान के विशेष परिप्रेक्ष्य में

मुकेश कुमार बंसल



“बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र”

62, लेन 3, केशव नगर

सिविल लाइन्स, जयपुर (राज.)

ई-मेल : info@barcjaipur.org

वेबसाइट : www.barcjaipur.org

बजट अध्ययन : एक परिचय

अध्ययन अथवा शोध उद्देश्य हेतु इस किताब के तथ्य एवं आंकड़े
किताब का संदर्भ देने पर ही प्रकाशित किये जाने योग्य।

© बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

प्रथम संस्करण : अगस्त 2010

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : नित्य काँति एसोसिएट्स
राजापाक, जयपुर

अनुक्रम

<u>क्र. सं.</u>	<u>विषय वस्तु</u>	<u>पृष्ठ संख्या</u>
1	आमुख	1
2	बजट : परिचय, इतिहास एवं शब्दावली	2
	(i) बजट का इतिहास	
	(ii) भारतीय संविधान में बजट	
	(iii) बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली	
3	बजट विश्लेषण : परिचय	9
	(i) बजट अध्ययन : कुछ महत्वपूर्ण सवाल	
	— क्या है बजट विश्लेषण ?	
	— बजट विश्लेषण क्यों किया जाता है ?	
	— विश्लेषण के पश्चात बजट अध्ययन किस प्रकार उपयोगी है ?	
	(ii) राजस्थान में बजट निर्माण प्रक्रिया एवं प्रस्तुतिकरण	
4	राज्य बजट एवं इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन	15
	अ. राज्य की निधियाँ एवं खाता	
	(i) समैक्यित निधी	
	— राजस्व खाता	
	— पूँजीगत खाता	
	— लोक ऋण	
	— कर्ज एवं उधार	
	(ii) आकस्मिकता निधी	
	(iii) लोक खाता (Public Account)	
	— लघु बचत, भविष्य निधी आदि	
	— आरक्षित निधी	
	— जमा एवं अग्रिम	
	— उचंत एवं विविध	
	— प्रेषण	
	ब. कार्यकलापों के अनुसार वर्गीकरण	
	(i) सामान्य सेवाएँ	
	(ii) सामाजिक सेवाएँ	
	(iii) आर्थिक सेवाएँ	
	स. विभागानुसार बजट का आवंटन एवं विश्लेषण	
5	निष्कर्ष	43
	संदर्भ सूचो	

सारणी सूची

सारणी सं.	सारणी का नाम	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य में निधियों के अनुसार बजट का वर्गीकरण	
2.	राज्य के राजस्व खाते में बजट का वर्गीकरण	
3.	राज्य में कर राजस्व, बिक्री कर राजस्व एवं प्रति व्यक्ति आय की तुलना	
4.	राज्य के पूँजीगत खाते की प्रवृत्ति	
5.	लोक ऋण के रूप में राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय	
6.	कर्ज एवं उधार के रूप में राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय	
7.	राज्य में लोक खाते की प्रवृत्ति	
8.	कार्यकलापों के अनुसार राज्य बजट का वर्गीकरण	
9.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बजट का वर्गीकरण	
10.	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के बजट का वर्गीकरण	
11.	जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास के बजट का वर्गीकरण	
12.	अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अपिव के कल्याण हेतु बजट का वर्गीकरण	
13.	श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण हेतु बजट का वर्गीकरण	
14.	सामाजिक कल्याण एवं पोषण हेतु बजट का वर्गीकरण	
15.	कृषि एवं संबद्ध सेवाओं हेतु बजट का वर्गीकरण	
16.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु बजट का वर्गीकरण	
17.	उर्जा हेतु बजट का वर्गीकरण	
18.	ग्राम एवं लघु उद्योग हेतु बजट का वर्गीकरण	
19.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण हेतु बजट का वर्गीकरण	
20.	ग्रामीण विकास हेतु बजट का वर्गीकरण	

प्रस्तावना

हमारी सरकारें हर वर्ष मार्च में आने वाले वर्ष का जो बजट प्रस्तुत करती है, वह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। सरकार द्वारा बजट बनाना और विधायिका में पेश कर उसे पारित करवाना एक संवैधानिक दायित्व है। लेकिन, बजट केवल एक संवैधानिक खानापूर्ति भर नहीं है। बजट एक राजनैतिक दस्तावेज है क्योंकि सरकारें बजट द्वारा अपना संसाधन जुटाती हैं, समाज के विभिन्न वर्गों पर कर लगाती हैं तथा उपलब्ध संसाधनों को समाज के विभिन्न समूहों में, विभिन्न उद्देश्यों से आवंटित करती हैं। अतः बजट का अध्ययन सरकार की प्राथमिकताओं और उनकी नीतियों के व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन है। पिछले दो दशकों से देश के विभिन्न सामाजिक संगठनों/संस्थाओं ने बजट अध्ययन का उपयोग एक औजार की तरह समाज के पिछड़े एवं वंचित समूहों के अधिकारों की लड़ाई के लिए किया है।

प्रस्तुत पुस्तिका बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा बजट को समझने एवं बजट अध्ययन एवं अधिकारों की लड़ाई में बजट के उपयोग को सरल भाषा में उदाहरण के द्वारा समझने एवं समझाने का एक प्रयास है। हमें आशा है कि यह पुस्तिका आपके संस्था/संगठन के कार्यों में सहायक होगी। कृपया अपने विचारों से हमें अवश्य अवगत करायें।

नेसार अहमद
समन्वयक

1. आमुख

बजट वह साधन है जिसके द्वारा सरकार जनता के विकास की योजनाएं बनाती है एवं उन्हें क्रियांवित करती है अर्थात् यह सरकार के वित्तीय प्रबंधन हेतु एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा राज्य में वित्तीय गतिविधियों को संचालित किया जाता है। बजट के द्वारा सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय-व्यय का अनुमान एवं गत वित्तीय वर्ष के सरकार को प्राप्त हुई आय एवं किए गए व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। सरकार के द्वारा जनता के कल्याण हेतु बनाई गई योजनाओं को उपयुक्त तरीके से क्रियांवित करने के साथ ही जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आगामी वर्ष हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित करने में भी बजट मददगार साबित होता है। बजट केवल सरकार से जुड़ा हुआ विषय ही नहीं है अपितु आम आदमी के लिए भी इसके बारे में जानना एवं समझना आवश्यक है। चूंकि बजट एक विस्तृत एवं जटिल विषय है अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना इतना आसान नहीं होता है। राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बजट को समझना इसलिए भी आवश्यक है ताकि वह सरकार की आर्थिक नीतियों के बारे में जान सके। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का नागरिक होने के नाते उस सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा जानने एवं समझने का पूरा हक है साथ ही आगामी समय में किए जाने वाले व्यय के बारे में भी उसे जानकारी एवं समझ होना आवश्यक है। चूंकि बजट जटिल तकनीकी शब्दावली एवं आंकड़ों पर आधारित विषय होने के कारण इसे आसानी से समझ पाना एक आम आदमी को थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है लेकिन असंभव भी नहीं है। यदि इससे संबंधित कुछ तथ्यों, परिभाषाओं आदि के बारे में समझ लिया जाए तो बजट को समझने के साथ साथ इसके विश्लेषणात्मक अध्ययन से प्राप्त होने वाले महत्वपूर्ण परिणामों, जिनके बारे में हम अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, को समझ पाना आसान हो जाता है।

उपरोक्त वर्णित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर के द्वारा राजस्थान राज्य के बजट एवं उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। पुस्तक के अंतर्गत बजट का इतिहास, महत्वपूर्ण शब्दावली, राज्य बजट का विगत वर्षों में विश्लेषणात्मक अध्ययन एवं इससे प्राप्त परिणामों को शामिल किया गया है। पुस्तक में बजट का विश्लेषण समाज के गरीब, निर्बल, निःशक्त, पिछड़े एवं वंचित वर्ग के सर्वांगीण विकास, कल्याण एवं उसके सामाजिक, आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर किया गया है।

2. बजट : परिचय, इतिहास एवं शब्दावली

बजट : संक्षिप्त परिचय

बजट से तात्पर्य सामान्य रूप से किसी राष्ट्र, राज्य, संगठन अथवा परिवार की आय एवं व्यय के लेखे जोखे से है। यह तथ्य तो सर्वविदित है कि इन सभी ईकाईयों को आर्थिक गतिविधियों के समुचित रूप से संचालन हेतु आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखना आवश्यक ही नहीं बल्कि बेहतर परिणाम निष्पादन के लिए भी जरूरी हो जाता है। सरकार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए की जाए तो बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसके द्वारा सरकार प्रत्येक वर्ष निर्धारित तिथि को संसद (केन्द्र सरकार द्वारा) अथवा विधानसभा (राज्य सरकार द्वारा) में प्रस्तुत किया जाता है। पेश किए जाने वाले बजट में तीन वषा की आय-व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है जो कि इस प्रकार है :

- गत वित्तीय वर्ष की वास्तविक आय-व्यय का लेखा जोखा (Actual Expenditure-AE)
- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित आय व्यय अनुमान (Revised Estimate-RE)
- आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आय-व्यय के बजट अनुमान (Budget Estimate-BE)

उदाहरण के लिए वर्ष मार्च 2010 में राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट में वर्ष 2008–09 के वास्तविक आंकड़े (AE), 2009–10 के संशोधित अनुमान (RE) एवं वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान (BE) के आंकड़े प्रस्तुत किए गए।

बजट बनाने का प्रमुख उद्देश्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम वितरण एवं उपयोग किए जाना होता है। बजट के द्वारा संसाधनों का वितरण समान रूप से सभी वर्गों में सुनिश्चित किया जाता है। राज्य में जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जनता के अधिकतम कल्याण के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के तहत सेवाएं प्रदान की जाती हैं एवं जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन सेवाओं एवं योजनाओं के उचित प्रबंधन एवं क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा प्रतिवर्ष बजट बनाया जाता है।

(i) बजट का इतिहास

बजट (Budget) शब्द एक फ्रांसीसी शब्द "Bougette" से मिलकर बना है जिसका अर्थ चमड़े से बना छोटा थैला होता है, जो कि प्राचीनकाल में धन रखने के काम आता था। आज के युग में बजट शब्द भी लगभग उसी का मिला जुला रूप है जिसका तात्पर्य एक ऐसा विवरण है जिसमें सरकारी धन के आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। भारतीय इतिहास में बजट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार हैं :

- सन् 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार के द्वारा रथापित ईस्ट इंडिया कम्पनी के द्वारा आर्थिक शासन की विफलता के बाद जेम्स विल्सन को वायसराय का वित्त सलाहकार नियुक्त किया गया, जिन्हे भारत का प्रथम वित्त मंत्री माना जाता है लेकिन स्वतंत्र भारत का नहीं अतः जेम्स विल्सन में सन् 1859 में देश का प्रथम बजट प्रस्तुत किया।
- आजाद भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के.षणमुखम् चेट्टी ने 26 नवम्बर 1947 को देश का प्रथम पूर्ण बजट प्रस्तुत किया।
- वर्ष 2000 तक केन्द्रीय बजट फरवरी माह के अंतिम कार्य दिवस पर शाम को 5.00 बजे संसद में प्रस्तुत किया जाता था लेकिन वर्ष 2001 से वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में वित्त मंत्री यशवन्त सिन्हा ने इस परिपाठी को बदलते हुए प्रातः 11 बजे से प्रस्तुत करना प्रारम्भ किया जिसके पश्चात यह लगातार जारी है।
- राजस्थान में विधानसभा के गठन के बाद पहला बजट 26 नवम्बर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- वित्त मंत्री की ओर से प्रस्तावित किए जाने वाला बजट संसद अथवा विधान सभा में बहस के बाद अगामी 1 अप्रैल से प्रभावी होता है।

(ii) भारतीय संविधान में बजट

बजट को भारतीय संविधान में "वार्षिक वित्तीय विवरण" के नाम से परिभाषित किया गया है। संविधान के भाग—5 में अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति, केन्द्र सरकार से प्रतिवर्ष संसद के दोनों सदनों (लोक सभा एवं राज्य सभा) के समक्ष बजट प्रस्तुत करवाएगा। यह बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार राज्य बजट को संविधान के भाग—6 में अनुच्छेद 202 के अंतर्गत "वार्षिक वित्तीय विवरण" के नाम से परिभाषित करते हुए बताया गया है कि राज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट राज्य के विधान मंडल के सदन (विधान सभा एवं विधान परिषद) के समक्ष बजट प्रस्तुत करवाएगा। राज्य बजट भी राज्य के वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है लेकिन यह देखा गया है कि चूंकि देश के अधिकांश राज्यों में राज्य के वित्त विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री के पास होता है अतः राज्य का बजट मुख्यमंत्री के द्वारा पेश किया जाता है।

(iii) बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली

चूंकि बजट अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ एक तकनीकी विषय है जो कि सामान्य रूप से एक आम आदमी के समझने के लिए थोड़ा जटिल हो जाता है। चूंकि इस पुस्तक में बजट एवं बजट

विश्लेषण से जुड़े तथ्यों के बारे में समझाया गया है अतः यहां पर बजट से जुड़ी शब्दावली को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है ता कि पुस्तक में प्रयुक्त होने वाले तकनीकों शब्दों को समझना आसान हो।

बजट (Budget)

जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि बजट सरकार की आय एवं व्यय का वार्षिक विवरण प्रपत्र होता है जिसमें एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत केन्द्र अथवा राज्य सरकार की आर्थिक नीति के संचालन हेतु आय-व्यय का विवरण होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के बजट का तथा अनुच्छेद 202 के अंतर्गत राज्य सरकार के बजट का प्रावधान दिया गया है।

समेकित निधि (Consolidated fund)

सरकार के खातों के अंतर्गत समेकित निधि सरकारी आय को जमा करने एवं सरकारी व्यय करने कि लिए सबसे बड़ी निधि है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत राज्य की समेकित निधि को परिभाषित किया गया है। इस निधि के अंतर्गत राज्य सरकार की सभी कर एवं गैर कर राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियां, सहायतार्थ अनदान से प्राप्त राशि तथा ऋण एवं अग्रिमों से प्राप्त राशि आदि को जमा किया जाता है। दूसरी तरफ सभी अधिकृत व्यय (सरकारी वेतन, भत्ते, निर्माण कार्य, रखरखाव आदि) इसी निधि में से किए जाते हैं। इस निधि में से राशि को खर्च किए जाने से पूर्व राज्य विधान सभा की मजूरी आवश्यक होती है अर्थात् बिना विधानसभा की पूर्व अनुमति के समेकित निधि में से राशि व्यय नहीं की जा सकती है।

आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में परिभाषित आकस्मिकता निधि राज्य में अचानक होने वाली आपदाओं/त्रासदों के लिए किए जाने वाले व्यय हेतु राशि उपलब्ध कराती है। आकस्मिकता निधि में खर्च की वाली राशि समेकित निधि में से ऋण के रूप में निकाली जाती है जिसे बाद में जमा करवा दिया जाता है। राज्य में अचानक आए भूकम्प, बाढ़, महामारी अथवा किसी बड़ी त्रासदी से निपटने हेतु राज्य सरकार इस निधि में से सीधे राज्यपाल की अनुमति से खर्च कर सकती है अर्थात् इस निधि में से राशि निकालने के लिए विधानसभा की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। निधि में से निकाली गई राशि को खर्च किए जाने के बाद विधानसभा में पारित करवाया जा सकता है।

लोक खाता (Public Account)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में परिभाषित लोक खाता को सरल भाषा में "जनता का खाता" भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जमा राशि पर मालिकाना हक राज्य की जनता का होता है ना कि सरकार का। सरकार तो केवल एक बैंकर अथवा ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है जो कि लोक खाते में जमा की गई जनता एवं वित्तीय संस्थानों की राशि को एक निश्चित अवधि के लिए संचित करती है और अवधि पूर्ण होने पर मय ब्याज जनता को वापस लौटा देती है। इस खाते में लघु बचत, भविष्य निधी एवं आरक्षित फंड के रूप में राशि जमा होती है। इस खाते से राशि निकालने के लिए विधानसभा की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है।

राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts)

राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार को कर एवं गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान राशि, अंशदान, ऋण (कर्मचारियों, व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दिए गए) से प्राप्त ब्याज, निवेश/विनियोग प्राप्त लाभांश या डिवीडेंड, सेवाओं के मूल्य एवं शुल्क से प्राप्त आय जैसे स्कूल, महाविद्यालय, अस्पताल आदि से प्राप्त शुल्क आदि शामिल किए जाते हैं।

पूंजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts)

राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार, राज्य की जनता एवं वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। राज्य के विभिन्न विभागों की आवश्यकता के अनुसार ली जाने वाला उधार एवं अग्रिम राशि को भी पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल किया जाता है। अगर राज्य सरकार किसी संस्थान को ऋण देती है तो पुर्णभुगतान से मूलधन की प्राप्ति, सरकारी स्थाई सम्पत्ति को बेचने से प्राप्त होने वाली राशि राज्य सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति होगी। कहा जा सकता है कि राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है जबकि पूंजीगत प्राप्तियों की प्रवृत्ति दीर्घकालिक होती है।

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

राज्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्तों का भुगतान, सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय, स्थायी सम्पत्तियों एवं सरकारी कार्यालयों के प्रबंधन एवं रखरखाव पर किया जाने वाला व्यय, ब्याज भुगतान, स्थानीय निकायों को दिये जाने वाली सहायता, अनुदान तथा अंशदान की राशि को राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। राज्य की जनता को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने पर किया गया खर्च (स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण को छोड़कर) भी राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि राजस्व व्यय के अंतर्गत स्थायी सम्पत्ति या पूंजी का निमार्ण नहीं होता है।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure)

पूंजीगत व्यय के अंतर्गत सामान्यतः स्थायी सम्पत्तियों का निर्माण होता है जैसे कि भूमि विकास पर किए जाने वाला व्यय, भवन निर्माण, पुल निर्माण, सड़क एवं बांध आदि पर किया गया व्यय, मशीन एवं कलपूर्जों को खरीदने अथवा बनाने में किया गया व्यय शामिल होता है। सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए ऋण के मूलधन का भुगतान भी पूंजीगत व्यय में शामिल किया जाता है। प्राप्तियों के अनुरूप पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति दीर्घकालिक होती है जबकि राजस्व व्यय की प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है।

लोक ऋण (Public Debt)

राज्य सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करने के दो प्रकार के रौप्त होते हैं : (1) आन्तरिक ऋण— राज्य की जनता एवं राज्य के वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण एवं (2) केन्द्रीय अथवा बाह्य ऋण—केन्द्र सरकार से लिया गया ऋण। बजट में लोक ऋण के अंतर्गत दोनों प्रकार के रौप्तों से राज्य सरकार के द्वारा लिए गए एवं चुकाए गए ऋण का विवरण दिया होता है।

उधार एवं अग्रिम (Loan and Advances)

उधार एवं अग्रिम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों के तहत निर्धारित विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कर्ज तथा अग्रिम लिया जाता है।

आयोजना व्यय (Plan Expenditure)

सरकार द्वारा हर पांच वर्ष की अवधि हेतु पंचवर्षीय योजना तैयार की जाती है जिसका अनुमोदन केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग द्वारा तथा राज्य स्तर पर राज्य योजना आयोग द्वारा किया जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रतिवेष वार्षिक योजना का प्रारूप तैयार किया जाता है। अतः इस प्रकार राज्य आयोजना व्यय के तहत राज्य में योजनाओं के संचालन हेतु किए जाने वाला व्यय शामिल होता है। आयोजना व्यय के अंतर्गत खर्च की जाने वाली राशि प्रमुख रूप से योजनाओं के संचालन पर खर्च की जाती है।

आयोजना भिन्न व्यय (Non Plan Expenditure)

आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत सरकार के द्वारा किए जाने वाले वे व्यय शामिल हैं जिन्हे खर्च करना सरकार के लिए लगभग आवश्यक होता ही है। इसके लिए आवश्यकताओं के अनुसार हर वर्ष आयोजना भिन्न व्यय अनुमानों का निर्धारण किया जाता है। जैसे कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालय व्यय, ब्याज अदायगी, पुलिस, पेंशन, आर्थिक सेवाएं आदि।

केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय (Centrally Sponsored Scheme Expenditure)

राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती हैं जिनके अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार का निश्चित अनुपात में योगदान होता है जैसे कि 90:10, 75:25 अथवा 50:50 आदि। अतः इन योजनाओं के तहत किए जाने वाला व्यय केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय कहलाता है। उदाहरणार्थ वर्तमान में महानरेगा (MNREGA) वर्तमान में संचालित सबसे बड़ी केन्द्र प्रवर्तित योजना है।

बजट अनुमान (Budget Estimate - BE)

सामान्य रूप से जब प्रतिवर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में सरकार अगले वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत करती है तो आगामी वर्ष की आय एवं व्यय के अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं जिन्हे बजट अनुमान (BE) के नाम से जाना जाता है।

संशोधित अनुमान (Revised Estimate - RE)

सरकार प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करने के लगभग 6 माह पश्चात अर्थात सितम्बर-अक्टूबर माह में बजट प्रावधानों की समोक्षा करती है जिसके अंतर्गत विगत 6 माह के आय-व्यय के बजट अनुमानों का विश्लेषण किया जाता है एवं इससे प्राप्त आंकड़ों एवं परिणामों के आधार पर सरकार बजट अनुमानों (BE) को संशोधित करके अन्तिम रूप देती है जिन्हे संशोधित बजट अनुमान (RE) कहा जाता है।

वास्तविक व्यय (Actual Expenditure - AE)

एक वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा किए गये वास्तविक व्यय के आंकड़ों को वास्तविक व्यय (AE) अथवा वास्तविक लेखे के नाम से जाना जाता है।

राजस्व घाटा/बचत (Revenue Deficit/Surplus)

जब सरकार की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय अधिक/कम होता है तो दोनों के अंतर को राजस्व घाटा/बचत कहा जाता है।

$$\text{राजस्व घाटा/बचत} = \text{राजस्व प्राप्तियाँ} - \text{राजस्व व्यय}$$

$$\text{Revenue Deficit/Surplus} = \text{Revenue Receipts} - \text{Revenue Expenditure}$$

पूंजीगत घाटा/बचत (Capital Deficit/Surplus)

जब सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में पूंजीगत व्यय अधिक/कम होता है तो दोनों के अंतर को पूंजीगत घाटा/बचत कहा जाता है।

$$\text{पूंजीगत घाटा/बचत} = \text{पूंजीगत प्राप्तियाँ} - \text{पूंजीगत व्यय}$$

$$\text{Capital Deficit/Surplus} = \text{Capital Receipts} - \text{Capital Expenditure}$$

बजटीय घाटा (Budgetary Deficit/Surplus)

जब सरकार की कुल प्राप्तियों जिनमें राजस्व एवं पूंजीगत दोनों प्राप्तियां शामिल हैं, की तुलना में कुल व्यय (राजस्व + पूंजीगत) अधिक/कम हो तो दोनों के अंतर को बजटीय घाटा/आधिक्य कहा जाता है।

$$\text{बजटीय घाटा/आधिक्य} = \text{कुल आय} - \text{कुल व्यय}$$

$$\text{Budgetary Deficit/Surplus} = \text{Total Receipts} - \text{Total Expenditure}$$

राजकोषीय घाटा/वित्तीय घाटा (Fiscal Deficit)

बजटीय घाटे में उधार एवं अन्य देयताओं को घटा दिया जाता है तो दोनों का अन्तर राजकोषीय घाटा कहलाता है। इसे दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा, कुल राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के योग में से कुल व्यय (राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय, जिसमें उधार दिए गए शुद्ध ऋणों को राशि भी शामिल होती है) को घटाने पर प्राप्त अंतर होता है। सामान्यतया राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों का मुख्य ध्यान राजकोषीय घाटे को कम करने पर रहता है क्योंकि राजकोषीय घाटा ही सरकार की वित्तीय परिस्थितियों को वास्तविक रूप से उजागर करता है।

$$\text{राजकोषीय घाटा} = \text{बजटीय घाटा} - \text{उधार एवं अन्य देयताएं}$$

$$= (\text{कुल आय} - \text{कुल व्यय}) - \text{उधार एवं अन्य देयताएं}$$

$$\text{Fiscal Deficit} = \text{Budget Deficit} - \text{Borrowings and other liabilities}$$

प्राथमिक घाटा (Primary Deficit)

राजकोषीय घाटे में ब्याज अदायगियों को जोड़ने पर प्राप्त हाने वाली राशि प्राथमिक घाटा कहलाती है।

$$\text{प्राथमिक घाटा} = \text{राजकोषीय घाटा} - \text{ब्याज देनदारियां}$$

$$\text{Primary Deficit} = \text{Fiscal Deficit} - \text{Payment of Interest}$$

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product - GSDP)

एक वर्ष की अवधि में किसी राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादित होने वाली समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहा जाता है।

3. बजट विश्लेषण : परिचय

(i) बजट अध्ययन : कुछ महत्वपूर्ण सवाल

• क्या है बजट विश्लेषण ?

जैसा कि पहले भी बताया गया है कि बजट के अंतर्गत सरकार सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करती है। बजट के द्वारा वितरीत की जाने वाली राशि में सरकार प्राथमिकताएं निर्धारित करती है अर्थात् समाज का जो वर्ग तुलनात्मक रूप से अधिक पिछड़ा हुआ है सरकार उस वर्ग के लिए अधिक राशि वितरीत किए जाना सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए समाज में महिला वर्ग विशेष रूप से विधवाएं, विकलांग, दलित एवं आदिवासी आदि तुलनात्मक रूप से अधिक पिछड़े हुए वर्ग माने जाते ह। यहां पर यह जरूरी हो जाता है कि इन वर्गों को बजट में प्राथमिकता प्रदान करके इनके उत्थान के प्रयास किए जाएं। बजट विश्लेषण, बजट में समाज के विभिन्न पिछड़े एवं निर्बल वर्गों के विकास को ध्यान में रखकर प्राथमिकताओं के अनुसार संसाधनों के वितरण का मूल्यांकन किए जाना है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि बजट विश्लेषण के द्वारा हमें यह जानने में मदद मिलती है कि समाज में अधिकार आधारित एवं सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए जिस वर्ग की जितनी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप उनको बजट में राशि आवंटित की जा रही है या नहीं। सरकार द्वारा बजट में अनुमानित जितनी राशि इन वर्गों के लिए रखी जा रही है उतनी राशि वास्तविक रूप से खर्च की जा रही है या नहीं।

बजट विश्लेषण क्यों किया जाता है ?

- चूंकि बजट सरकार से जुड़ा हुआ ही नहीं बल्कि आम जनता से भी जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय है अतः बजट को गहराई से जानने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। चूंकि बजट एक राजनैतिक दस्तावेज है इसलिए बजट के बारे में समझ को विकसित करने और इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना और महत्वपूर्ण हो जाता है। बजट के जटिल पहलूओं को सरल रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करना ताकि उसे एक आम आदमी भी आसानी से समझ सके, इसके लिए बजट का विश्लेषण किए जाना आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त बजट विश्लेषण निम्न कारणों से भी किए जाना आवश्यक हो जाता है :-
- यह जानने कि लिए कि जनता को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए निर्धारित अधिकारों एवं प्रावधानों के अनुरूप बजट में राशि आवंटित की जा रही है या नहीं। उदाहरण के तौर पर दलित वर्ग के लिए शुरू की गई अनुसूचित जाति उपयोजना के अनुसार राज्य

की कुल आबादी में से दलितों की जनसंख्या के अनुपात में राशि दलितों के विकास के लिए व्यय की जानी चाहिए। चूंकि राज्य में कुल आबादी का लगभग 17 फीसदी दलितों की आबादी है ऐसे में राज्य के सभी विभागों अपने कुल आयोजना बजट में से लगभग 17 फीसदी राशि दलितों के कल्याण के लिए व्यय की जानी चाहिए। विगत वर्षों के राज्य बजट का विश्लेषण करने पर देखा जा सकता है कि राज्य के किसी भी विभाग ने अनुसूचित जाति उपयोजना के अनुसार पूरी राशि नहीं रखी है। शिक्षा, चिकित्सा जैसे बड़े विभागों ने तो 1 प्रतिशत से भी कम राशि दलितों के लिए रखी है।

- सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित जानकारी आम जनता तक पहुंचाने हेतु।
- सरकारी योजनाओं की आमजन तक पहुंच बनाने हेतु, एवं उनके अंतर्गत जनता के अधिकारों का हनन होने पर पैरवी करने हेतु।
- समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकताएं निर्धारण हेतु।
- आय पुर्नवितरण के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति में सहायक।
- ग्रामीण एवं कम पढ़े लिखे लोगों तक बजट से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की पहुंच हेतु।
- सुदृढ़ एवं सुनियोजित राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के निर्धारण में सहायक।
- समाज के पिछड़े एवं निर्बल वर्ग को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सहायक।

विश्लेषण करने के पश्चात बजट अध्ययन किस प्रकार उपयोगी है ?

- चूंकि बजट का अध्ययन विभिन्न मुद्दों और उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उनके अनुरूप किया जाता है अतः वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति में बजट अध्ययन एक कारगर औजार साबित होता है। बजट अध्ययन निम्न प्रकार से उपयोगी हो सकता है :
- बजट विश्लेषण किए जाने कि पश्चात आंकड़ों पर आधारित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट राज्य के जनप्रतीनिधियों मुख्य रूप से राज्य के विधायकों को उपलब्ध करवाई जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर जनकल्याण से संबंधित मुद्दों एवं समस्याओं पर विधायकों द्वारा विधानसभा सत्र में सवाल पूछे जाते हैं और संबंधित मंत्रियों को इसकी जवाबदेही देनी होती है। मंत्रियों द्वारा इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेकर सवालों का स्पष्टीकरण दिया जाता है और किसी प्रकार की कमी होने पर उचित

निराकरण हेतु नीति निर्माण की कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार संस्थाओं एवं जनसंगठनों द्वारा बजट विश्लेषण का उपयोग बजट एवं नीतियों को प्रभावित करने में किया जाता है।

- विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं जनकल्याण संस्थाओं को बजट से संबंधित आंकड़े एवं रिपोर्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं जिनका उपयोग उनके द्वारा जनकल्याण से संबंधित मुद्दों पर पैरवी करने में किया जाता है। गौरतलब है कि आकड़ों पर आधारित तथ्यों एवं रिपोर्टों का प्रभाव ज्यादा असरकारी होता है क्योंकि इनके द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के समक्ष आंकड़ों को आधार मानकर समस्याओं से अवगत करवाया जाता है, जिन्हे झुटलाया नहीं जा सकता। समस्याओं से अवगत कराने के पश्चात संगठनों द्वारा अपनी मांगें प्रस्तुत की जाती हैं जो कि वैज्ञानिक दृष्टीकोण से अधिक सुदृढ़ होती है। बतौर उदाहरण बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र के द्वारा महिला मुद्दों पर कार्यरत आस्था संस्थान, उदयपुर की ईकाई एकल नारी शक्ति संगठन को राज्य में सरकार से विधवा पेंशन राशि में बढ़ोतरी की मांग हेतु विगत वर्षों में राज्य में विधवाओं की संख्या, आवंटित बजट एवं संबंधित समस्याओं पर आधारित उपलब्ध करवाए गए आंकड़े कहीं अधिक कारगर साबित हुए और राज्य में विधवा पेंशन राशि में होने वाली बढ़ोतरी संस्था के उद्देश्य की लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुई।
- समय समय पर मीडिया को दी जाने वाली बजट विश्लेषण से प्राप्त रिपोर्टों के द्वारा राज्य की जनता, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किए जाने में सहायता मिलती है। बजट पर आधारित जनकल्याण से संबंधित विषयों एवं व्याप्त समस्याओं को कम समय में व्यापक स्तर पर प्रचारित करने हेतु मीडिया एक उपयुक्त माध्यम है।
- उपरोक्त विषयों के अतिरिक्त बहुत से क्षेत्रों एवं मौकों पर बजट विश्लेषण सामाजिक संस्थाओं के द्वारा राज्य की आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही हेतु एक कारगर उपाय है।

(ii) बजट निर्माण प्रक्रिया एवं प्रस्तुतिकरण


जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि बजट विश्लेषण सामाजिक संस्थाओं के लिए एक कारगर औजार साबित हो सकता है इसके लिए राज्य में बजट निर्माण प्रक्रिया एवं प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है जो कि इस प्रकार है

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 में ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ के नाम से परिभाषित राज्य बजट सरकार द्वारा प्रतिवर्ष मार्च के प्रथम सप्ताह में आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तुत किया जाता

है। यह विवरण विधानसभा के सम्मुख मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में विभागीय स्तर पर होने वाली बजट निर्माण प्रक्रिया को रेखाचित्र संख्या 1 के आधार पर समझा जा सकता है।

जैसा कि रेखाचित्र संख्या 1 में दर्शाया गया है कि 31 अगस्त तक वित्त विभाग के द्वारा नियंत्रण अधिकारियों के पास परिपत्र भेजा जाता है, जहां से सितम्बर माह में अनुमान अधिकारियों को विभागीय परिपत्र प्रेषित किए जाते हैं। इसके पश्चात 1 अक्टूबर तक अनुमान अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्ष को GA 1, GA 2 और GA 3 में बजट अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरी तरफ 15 अक्टूबर तक प्रपत्र GA 6 में विभागाध्यक्षों द्वारा प्राप्तियों के अनुमान प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं जबकि 31 अक्टूबर तक विभागाध्यक्षों द्वारा प्रपत्र GA 4 और 5 में व्यय अनुमान प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग तथा महालेखाकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। इस विभागीय प्रक्रिया को शामिल करते हुए आगे की प्रक्रिया को रेखाचित्र 2 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र संख्या 1: राज्य में बजट निर्माण की विभागीय प्रक्रिया



रेखाचित्र 2 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष का बजट अनुमान बनाने हेतु वित्त विभाग द्वारा सभी विभागों को परिपत्र (सर्कुलर) जारी किए जाते हैं जिनके आधार पर विभागों के द्वारा बजट अनुमानों का निर्धारण किया जाता है। नवंबर से जनवरी माह के बीच बजट निर्धारण समिति (बी. एफ. सी) के द्वारा इन अनुमानों का अध्ययन, जांच एवं सकलन किया जाता है। फरवरी माह में वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमानों को अन्तिम प्रारूप दिया जाता है। मार्च माह के करीब पहले अथवा दूसरे सप्ताह में राज्य के वित्त मंत्री (मुख्यमंत्री) द्वारा राज्य का बजट विधानसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा के बजट सत्र, जो कि बजट पेश होने के 1–2 दिन के पश्चात होता है में बजट की मांगों एवं अन्य मुद्दों पर बहस होती है जिसमें वित्त विधेयक एवं विनियोग

विधेयक पारित किए जाते हैं। राज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात बजट 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाता है। कभी कभार कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे कि कार्यकाल पूरा होने के पश्चात नई सरकार के गठन तक की अवधि तक) में 3–4 माह की अवधि हेतु बजट पेश किया जाता है जिसे "Vote on Account" कहते हैं बाद में जूलाई माह में पूर्ण बजट पेश कर दिया जाता है। सितंबर–अक्टूबर माह में सरकार चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्यय का आंकलन करके उनमें संशोधन करके संशोधित बजट अनुमान पेश करती है।

रखाचित्र संख्या 2 : बजट निर्माण प्रक्रिया

प्रथम चरण

वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र
(सर्कुलर) जारी करना

अगस्त

द्वितीय चरण

विभागों द्वारा बजट अनुमानों का निर्धारण

अक्टूबर

तृतीय चरण

बजट निर्धारण समिति (B.F.C.) की मीटिंगों में
अनुमानों का अध्ययन, जाच तथा संकलन

अक्टू. / नवंबर – जनवरी

षष्ठम चरण

बजट पर विधानसभा में बहस

मार्च

पंचम चरण

बजट का विधानसभा में
प्रस्तुतिकरण

फरवरी–मार्च

चतुर्थ चरण

वित्त विभाग द्वारा अनुमानों को अन्तिम प्रारूप
दिया जाना

फरवरी

सप्तम चरण

विनियोग / वित्त विधेयक पारित

मार्च

अष्टम चरण

राज्यपाल द्वारा अनुमोदन


मार्च

4. राज्य बजट एवं इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन

अ. राज्य की निधियां एवं खाता

सरकार के आय-व्यय के ब्यौरे को जमा खर्च करने के लिए निधियों एवं खातों का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में राज्य सरकार की निधियों एवं खाते को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है जो कि निम्न प्रकार हैं।

रेखाचित्र संख्या 3 : सरकार की निधियां एवं खाते



रेखाचित्र 3 के अनुसार राज्य की निधियों एवं खाता को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर्वप्रथम है (1) समेकित निधी—जैसा कि पूर्व में भी बताया जा चुका है कि समेकित निधी में राज्य की अधिकांशतः प्राप्तियां, व्यय, लोक ऋण, कर्ज एवं उधार आदि सम्मिलित हाने के कारण राज्य सरकार की निधियों में से सबसे बड़ी निधी होती है। राज्य के जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते आदि समेकित निधी में से ही व्यय किए जाते हैं जबकि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला कर राजस्व, कर्ज एवं उधार के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वगैरह राज्य की समेकित निधी में ही जमा की जाती है। (2) आकस्मिकता निधी, जिसमें से राज्य की आकस्मिक जरूरतों को पूरी करने हेतु राशि निकाली जाती है और अंतिम ह (3) लोक खाता, जिसमें राज्य की जनता एवं वित्तीय संगठनों का पैसा जमा होता है जिसे सरकार द्वारा मय ब्याज परिपक्वता पर लौटा दिया जाता है। सारणी संख्या 1 में राज्य बजट को निधियों के अनुसार वर्गीकृत करके बताया गया है।

सारणी संख्या 1 : राज्य में निधियों के अनुसार बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

निधी का नाम	2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10 RE		2010-11 BE	
	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
समेकित निधी	20840	25794	25592	29763	30782	35683	33473	40196	37207	46726	42463	50995
आकस्मिकता निधी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लोक खाता	86687	85834	93050	91250	121045	121776	164855	162382	176631	172598	119537	117947

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

RE : संशोधित अनुमान

BE: बजट अनुमान

सारणी संख्या 1 के अनुसार लोक खाते में चूंकि जनता का पैसा जमा होता है अतः अगर इसे छोड़ दिया जाए तो देखा जा सकता है कि राज्य बजट में लगभग अधिकांशतः राशि समेकित निधी में जमा होती है एवं इसी में से व्यय की जाती है। सारणी से प्राप्त परिणाम इस प्रकार हैं :

- लोक खाता के अंतर्गत प्राप्तियों में लगातार वृद्धि होती दिखाई दे रही है अर्थात् जमा होने वाली राशि में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों में 2009–10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार लगभग 57 हजार करोड़ रु. की कमी आई है जिसका पमुख कारण राज्य की उचंत एवं विविध प्राप्तियों के अंतर्गत रोकड़ शेष निवेश लेखा में लगभग 66 हजार करोड़ रु. की कमी होना है।
- इसी प्रकार लोक खाता में व्यय के अंतर्गत भी 2010–11 के बजट अनुमानों में 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 55 हजार करोड़ रु. की कमी आई है जिसका कारण भी राज्य की उचंत एवं विविध व्यय के अंतर्गत रोकड़ शेष निवेश लेखा में लगभग 63 हजार करोड़ रु. की कमी होना है।

अब अगर राज्य की निधियों में शामिल आय एवं व्यय का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो हमें यह जानने में मदद मिल सकती है कि आखिर इन निधियों में आय एवं व्यय के ख्रोत क्या–क्या हैं और विगत वर्षों में इनकी प्रवृत्ति किस प्रकार की रही है। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:

(i) समेकित निधी (Concolidated Fund)


जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि राज्य की निधियों में समकित निधी सबसे बड़ी निधी होती है क्योंकि इसी में सर्वाधिक राशि जमा की जाती है तथा व्यय की जाती है। समेकित निधी की संरचना को रेखाचित्र 4 में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र 4, 5 एवं 6 में समेकित निधी में आय एवं व्यय का संरचनात्मक वर्गीकरण दिखाया गया है। इसी क्रम में सारणी संख्या 2 के अंतर्गत राज्य के राजस्व एवं पूँजीगत खाते में आय–व्यय की प्रवृत्ति को दर्शाने का प्रयास किया गया है।


● राजस्व खाता (Revenue Account)

विगत कुछ वर्षों में राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत आय एवं व्यय की प्रवृत्ति सारणी संख्या 2 में दर्शाई गई है :


रेखाचित्र संख्या 4 : समेकित निधी का वर्गीकरण



रेखाचित्र संख्या 5 : समेकित निधी के अंतर्गत राजस्व खाता



रेखाचित्र संख्या 6 : समेकित निधी के अंतर्गत पूंजीगत खाता



सारणी संख्या 2 : राज्य के राजस्व खाते में बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 BE	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व आय							
कर राजस्व	15180.31	18368.61	21802.33	23942.22	26359.96	25921.43	31273.07
गैर कर राजस्व	2737.67	3430.61	4053.93	3888.46	5283.00	5126.96	4975.92
सहायतार्थ अनुदान	2921.21	3792.96	4924.36	5638.17	6625.01	6158.73	6214.50
कुल योग	20839.19	25592.18	30780.62	33468.85	38267.96	37207.12	42463.49
राजस्व व्यय							
आयोजना भिन्न व्यय	18367.68	21153.68	23993.98	28524.99	33136.15	34336.17	35809.91
आयोजना व्यय	2430.25	2910.27	4094.23	4361.58	4936.25	5234.91	5766.50
केन्द्रीय प्रवर्तित योजना व्यय	701.28	889.85	1039.44	1409.02	1604.21	1628.92	1985.31
कुल योग	21499.21	24953.80	29127.65	34295.59	39676.61	41200.00	43561.72
राजस्व घाटा/आधिक्य							
(राजस्व आय – राजस्व व्यय)	660.02	-638.38	-1652.98	826.74	1408.64	3992.88	1098.23

स्रोत : बजट पुस्तिका, राजस्थान वित्त विभाग
 BE- बजट अनुमान, RE- संशोधित अनुमान
 (राजस्व घाटे के अंतर्गत ऋणात्मक चिन्ह से तात्पर्य राजस्व आधिक्य से है)

सारणी संख्या 2 में दर्शाए गए राज्य के राजस्व खाते की विगत वर्षों में प्रवृत्ति के आधार पर निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं

राजस्व प्राप्तियां (Revenue Receipts)

कर राजस्व (Tax Revenue)

सारणी संख्या 2 के अनुसार देखा जा सकता है कि सरकार के राजस्व खाते में आय का सबसे बड़ा स्रोत कर राजस्व से हाने वाली प्राप्तियां हैं। सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों में लगभग 70 प्रतिशत प्राप्तियां अकेले कर राजस्व से होती हैं। सरकार के राजस्व खाते से जुड़ी प्राप्तियों से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निम्न प्रकार हैं :

- सरकार को प्राप्त होने वाले कर राजस्व के अंतर्गत कुछ कर तो ऐसे होते हैं जिनका संग्रहण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है लेकिन इन पर केन्द्र सरकार का हक होता है जिनमें से राज्य को कुछ प्रतिशत हिस्सा दिया जाता है। इन करों में प्रमुख रूप से निगम कर, आय कर, सीमा शुल्क, संघ उत्पादन शुल्क, सेवा कर आदि ह।
- वर्ष 2010–11 से पूर्व केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत था जिसे 13व वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद बढ़ाकर इसे 32 प्रतिशत कर दिया गया है। राजस्थान का केंद्रीय करों में हिस्सा पहले 5.60 प्रतिशत था जिसे भी 13व वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद बढ़ाकर 5.85 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य को केन्द्रीय करों में से 12252 करोड़ रु. प्राप्त होंगे जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की अपेक्षा 32 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य सरकार को कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली कर राजस्व आय के अंतर्गत सबसे बड़ा स्रोत राज्य बिक्री कर अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली बिक्री कर राजस्व है जो कि कुल कर प्राप्तियों का लगभग 40 प्रतिशत है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार को बिक्री कर राजस्व से लगभग 11730 करोड़ रु. राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।
- राज्य की अर्थव्यवस्था में बिक्री कर राजस्व का महत्व सबसे अधिक होता है क्योंकि राज्य में आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली अधिकांशतः वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री

कर जुड़ा होता है, जिसका आर्थिक बोझ हर हाल में राज्य के आम उपभोक्ता एवं गरीब वर्ग को ही ढोना पड़ता है। अतः इसे हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राज्य के कर राजस्व रूपी खजाने को भरने वाले वाला का सबसे बड़ा भागीदार गरीब एवं आर्थिक समस्याओं से जूझता आम आदमी है जो कि सरकार में खजाने में सबसे अधिक कर भी जमा करवाता है और सरकारी सुविधाओं की पहुंच के मामले में कतार में सबसे पोछे भी खड़ा है, बावजूद इसके कि उसे खुद को पता नहीं है कि सरकारी खजाने को भरने में सबसे बड़ा हाथ उसी का ह।

- **एक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक परिणाम :** वर्ष 1998–99 को आधार मानकर जब यह जानने की कोशिश की गई कि इस वर्ष (1998–99) की तुलना में आगामी वर्षों में राज्य सरकार के कर राजस्व, बिक्री कर राजस्व एवं राज्य में प्रति व्यक्ति आय की क्या प्रवृत्ति रही है, तो विश्लेषण से बहुत महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए जो कि इस प्रकार हैं

आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि वर्ष 1998–99 की तुलना में आगामी वर्षों में राज्य सरकार की कर राजस्व आय में, राज्य के प्रति व्यक्ति आय की तुलना में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। चूंकि राज्य सरकार की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा कर राजस्व के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें से भी बिक्री कर राजस्व का सर्वाधिक (लगभग 40 प्रतिशत) हिस्सा होता है। कहा जा सकता है कि कर राजस्व एवं इसके अंतर्गत बिक्री कर राजस्व दोनों ही राज्य सरकार की आय को दर्शाते हैं जबकि प्रति व्यक्ति आय राज्य के आम आदमी की औसतन वार्षिक आय को बताती है। अब अगर इन तीनों की तुलना 1998–99 में 100 रु. मानकर की जाए तो सारणी संख्या 3 के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं, जिन्हे ग्राफ सं. 1 में भी दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 3 : राज्य में कर राजस्व, बिक्री कर राजस्व एवं प्रति व्यक्ति आय की तुलना

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
कर राजस्व (लाख रु. में)	5449.68 (14.87)	8136.58 (71.51)	8553.53 (80.30)	9316.44 (96.38)	10848.40 (128.67)	12720.43 (168.13)	15180.31 (219.98)	18368.62 (287.19)	21802.32 (359.56)	23942.22 (404.67)	25921.44 (446.39)	31273.07 (559.20)
बिक्री कर राजस्व (लाख रु. में)	2424.52 (17.77)	2821.21 (37.04)	3069.03 (49.08)	3437.90 (67.00)	3985.43 (93.59)	4797.53 (133.04)	5593.64 (171.71)	6720.71 (226.46)	7750.74 (276.49)	8904.50 (332.54)	10200.00 (395.47)	11730.00 (469.79)
प्रति व्यक्ति आय (रु. में)	13619.00 (3.11)	13020.00 (-1.42)	14098.00 (6.74)	13128.00 (-0.61)	16507.00 (24.98)	16874.00 (27.76)	17997.00 (36.26)	21203.00 (60.53)	23986.00 (81.60)	27001.00 (104.43)	28885.00 (118.69)	NA


स्रोत : 1. बजट पुस्तिका, राजस्थान वित्त विभाग

नोट: (कोल्कट में 1998-99 की तुलना में वृद्धि दर्शाई गई है)

2. आर्थिक समिक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान, NA : Data Not Available

ग्राफ संख्या 1 : राज्य में कर राजस्व, बिक्री कर राजस्व एवं प्रति व्यक्ति आय की तुलना



स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

AE : वास्तविक व्यय BE: बजट अनुमान,

RE : संशोधित अनुमान

आर्थिक समिक्षा, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान

नोट : राज्य में वर्ष 2010-11 हेतु प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण नहीं दर्शाया गया है।

ग्राफ संख्या 1 के आधार पर देखा जा सकता है कि 1998–99 की तुलना में वर्ष 2009–10 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 119 प्रतिशत (लगभग दो गुना) की वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर राज्य को करो से प्राप्त आय में 446 प्रतिशत (लगभग 4.5 गुना) एवं बिक्री कर से प्राप्त कमाई में 395 प्रतिशत (लगभग 4 गुना) की वृद्धि हुई है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार इनमें क्रमशः 559 एवं 470 प्रतिशत वृद्धि अर्थात् वर्ष 2010–11 में सरकार को करों से प्राप्त होने वाली कमाई में वर्ष 1998–99 की तुलना में लगभग 5.5 गुना एवं बिक्री कर से प्राप्त आय में लगभग 5 गुना वृद्धि होने का अनुमान है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि विगत वर्षों में राज्य में प्रति व्यक्ति आय की तुलना में राज्य सरकार की करों से प्राप्त आय में अधिक तेजी बढ़ाती हो रही है, जिसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा बिक्री कर राजस्व, जो कि आम जनता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर कर के रूप में चुकाया जाता है, में भी बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर राजस्व को बढ़ाने के साथ–साथ यह भी देखना चाहिए कि उसी के अनुरूप आम आदमी की आय भी बढ़े ताकि कर राजस्व के रूप में गरीबी, बेरोजगारी, अकाल जैसी समस्याओं से जूझ रहे आम आदमी पर अनावश्वक आर्थिक भार ना पड़े साथ ही जिससे राज्य में आर्थिक रूप से सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सके।

गैर कर राजस्व (Non Tax Revenue)

राज्य की गैर कर राजस्व आय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मद राज्य को ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली प्राप्तिया ह, जो कि राज्य की कुल गैर कर राजस्व का लगभग 40 से 50 प्रतिशत तक होता है। सारणी संख्या 2 के अनुसार वर्ष 2010–11 में राज्य की कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियां लगभग 4976 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष (2009–10) के संशोधित अनुमानों 5127 करोड़ रु. की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत कम है।

सहायतार्थ अनुदान (Grand -in- aid)

राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली अन्य राजस्व प्राप्तियों में तीसरा महत्वपूर्ण मद है – सहायतार्थ अनुदान प्राप्तियां। राज्य सरकार के प्राप्त होने वाली ये प्राप्तियां सहायता के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त होती हैं जो कि राज्य की कुल राजस्व आय का लगभग 15 प्रतिशत होती हैं। वर्ष 2010–11 में राज्य को सहायतार्थ अनुमान के रूप में लगभग 6215 करोड़ रु. प्राप्त होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों 6159 करोड़ रु. की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत कम है।

राजस्व व्यय (Revenue Expenditure)

राजस्व व्यय के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों के रखरखाव, कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, ब्याज के रूप में चुकाई गई राशि आदि शामिल होती है। जैसा कि सारणी संख्या 2 में दिखाया गया है कि बजट के अंतर्गत किए जाने वाले राजस्व व्यय को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :आयोजना भिन्न व्यय, आयोजना व्यय एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय।

सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं :


- राज्य में किए जाने वाले राजस्व व्यय का लगभग 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा आयोजना भिन्न व्यय के अंतर्गत व्यय किया जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत सबसे बड़ा मद राज्य कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, विभिन्न विभागों एवं उनसे संबंधित कार्यालयों की देखरेख आदि पर किया जाने वाला व्यय है। छठा वेतन आयोग, कर्मचारियों की बढ़ती संख्या आदि के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर यह भार लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
- वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य का कुल राजस्व व्यय लगभग 43562 करोड़ रु. होने का अनुमान है जिसमें से लगभग 35809 करोड़ रु. आयोजना भिन्न व्यय, 5767 करोड़

रु. आयोजना व्यय एवं शेष राशि केन्द्रीय प्रवर्तित आयोजना व्यय के तहत खर्च किए जाने का अनुमान है।

- राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक व्यय आयोजना व्यय के अंतर्गत किया जाता है। आयोजना व्यय के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जनता के कल्याण हेतु राज्य में चलाई जा रही योजनाओं पर किया जाने वाला व्यय है।
- राज्य बजट व्यय के अंतर्गत कुल राजस्व व्यय का लगभग 3 से 5 प्रतिशत तक हिस्सा केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत किया जाता है। राज्य में अनेक ऐसी कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जो कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती हैं। विभिन्न योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य सरकार के हिस्से का अनुपात भिन्न-भिन्न हो सकता है जैसे कि 80:20, 50:50 एवं 90:10 आदि। जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि वर्तमान समय में मनरेगा सबसे बड़ी केन्द्रीय प्रवर्तित योजना है।
- ग्राफ सं. 2 में विगत वर्षों के अंतर्गत राज्य के राजस्व व्यय की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। ग्राफ के अनुसार देखा जा सकता है कि विगत वर्षों के अंतर्गत किए जाने वाले कुल व्यय में व्यय के अन्य दोनों प्रारूपों की तुलना में आयोजना भिन्न व्यय की राशि कहीं अधिक बढ़ी है।
- राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में से कुल राजस्व व्यय को घटाने पर राजस्व घाटा/राजस्व आधिक्य प्राप्त होता है जो कि राज्य के राजस्व खाते की वित्तीय स्थिती को दर्शाता है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष में राजस्व घाटा लगभग 1098 करोड़ रु. होने का अनुमान है जबकि वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट अनुमानों 3993 करोड़ रु. की तुलना में लगभग 2895 करोड़ रु. कम है। वर्ष 2010–11 में अनुमानित राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में –3.51 प्रतिशत अनुमानित किया गया है जबकि राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियम (FRBM Act)¹ 2006 के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए क्रमशः 0.44 प्रतिशत एवं 2.67 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

¹ राजस्व घाटे में उत्तरोत्तर कमी, राजवित्तीय स्थिरता व संगत, विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, सरकार की वित्तीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यकालिक राजवित्तीय रूपरेखा में राजवित्तीय नीति का संचालन करके राजवित्तीय प्रबंधन और राजवित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राजवित्तीय प्रबंधन अधिनियम, 2005 लागू किया गया है जो 3 मई 2005 से प्रभावशील है।....

ग्राफ संख्या 2 : राजस्व व्यय का वर्गीकरण



स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

● पूँजीगत खाता (Capital Account)

पूँजीगत प्राप्तियां (Capital Receipts) : राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण, जनता से लिया गया ऋण, उधार एवं अग्रिम राशि पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल होती है। इसी प्रकार अगर राज्य सरकार किसी संस्था को ऋण देती है तो जो मूलधन की वसूली होगी वह भी पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल की जाएगी। यदि राज्य सरकार अपनी किसी सम्पत्ति को बेचती है तो उससे प्राप्त होने वाली राशि पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत शामिल की जाती है। राज्य की कुल प्राप्तियों का लगभग 20–25 हिस्सा पूँजीगत प्राप्तियों का होता है। विगत वर्षों में राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्ति सारणी संख्या 4 में दर्शाई गई है।

सारणी 4 : राज्य के पूँजीगत खाते की प्रवृत्ति

(राशि करोड रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 BE	2009-10 RE	2010-11 BE
पूँजीगत आय							
लोक ऋणों से प्राप्तियां	5495.30	4222.14	5063.34	7477.86	9399.72	8823.16	10231.04
उधार एवं अन्य प्राप्तियां	237.61	513.90	1780.73	89.24	102.28	119.63	111.11
लोक खाता से शुद्ध प्राप्ति	853.20	1800.14	-730.44	2472.78	2006.58	4032.57	1590.41
आकस्मिकता निधी विनियोजन	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
पूँजीगत खाते में अन्य प्राप्तियां	0.81	0.00	1.16	4.21	0.00	0.00	0.00
कुल योग	6586.92	6536.18	6114.77	10209.09	11508.58	12975.37	11932.56
पूँजीगत व्यय							
पूँजीगत खाता से अन्य व्यय	4294.49	4809.37	6555.55	5899.95	6864.22	5526.03	7432.99
लोक ऋण का भुगतान	992.48	1780.43	1845.81	2432.63	2947.22	2945.12	3312.10
उधार एवं अग्रिम का भुगतान	434.18	312.65	287.69	340.06	249.30	500.85	40.98
कुल योग	5721.15	6902.44	8689.05	8672.64	10060.75	8972.00	10786.07
पूँजीगत घाटा/आधिक्य							
(पूँजीगत आय – पूँजीगत व्यय)	865.77	-366.26	-2574.28	1536.45	1447.83	4003.37	1146.49

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE- बजट अनुमान, RE- संशोधित अनुमान

(घाटे के अंतर्गत ऋणात्मक चिन्ह से तात्पर्य आधिक्य से है)

सारणी संख्या 4 के आधार पर राज्य सरकार की विगत वर्षों में पूँजीगत प्राप्तियों एवं व्यय के अंतर्गत निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :

- राज्य की कुल पूँजीगत प्राप्तियों में लगभग 85 फीसदी हिस्सा लोक ऋणों से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों का होता है जो कि राज्य के आन्तरिक एवं केन्द्रीय ऋणों के रूप में बंटा होता है। आन्तरिक ऋण के अंतर्गत प्रमुख कारक राज्य सरकार राज्य विकास ऋण, पावर बॉड, राष्ट्रीय लघु बचत कोष, विभिन्न वित्तीय संगठनों एवं संस्थाओं (LIC, GIC, NABARD, NCDC, Banks आदि) से प्राप्त ऋण हैं जबकि केन्द्रीय ऋणों के अंतर्गत राज्यों को केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के रूप में प्राप्त होने वाली राशि होती है।
- सारणी को देखने से पता चलता है कि वर्ष 2008–09 के पूर्व के वर्षों में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां लगभग 6000 करोड़ रु. के करीब थीं लेकिन वर्ष 2008–09 से इसमें लगातार बहुत अधिक वृद्धि हो रही है जिसका प्रमुख कारण है—राज्य सरकार के आन्तरिक लोक ऋण में वृद्धि। इस प्रकार राज्य के आन्तरिक एवं केन्द्रीय लोक ऋणों में हो रही लगातार वृद्धि, लोक खाता की शुद्ध राशि में हो रही वृद्धि आदि राज्य की बढ़ रही पूँजीगत प्राप्तियों के प्रमुख कारण हैं।
- राज्य की पूँजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत दूसरा सबसे बड़ा स्रोत लोक खाता में होने वाली शुद्ध प्राप्ति है जो कि कुल व्यय एवं प्राप्तियों का अन्तर होता है। लोक खाते में प्राप्त होने वाली प्राप्तियां राज्य की कुल पूँजीगत प्राप्तियों का लगभग 10 – 15 प्रतिशत होती है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि लोक खाता में राज्य की जनता की लघु बचत, भविष्य निधी, बीमा एवं पेंशन निधी, आरक्षित निधी आदि का पैसा जमा होता है। विगत वर्षों में वर्ष 2007–08 को छोड़कर, जिसमें लोक खाता की प्राप्तियों से अधिक भुगतान होने के कारण इसकी शुद्ध प्राप्तियां ऋणात्मक रहीं, बाको सभी वर्षों में प्राप्तियां अधिक रही हैं। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार लोक खाते की शुद्ध राशि लगभग 1590 करोड़ रु. रहने का अनुमान है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 60 प्रतिशत कम है।

पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure)

पूँजीगत व्यय से राज्य सरकार द्वारा स्थाई सम्पत्तियों का निर्माण करवाया जाता है जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यालयों के भवन निर्माण एवं जनता हेतु सुविधागत सम्पत्तियों (शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति एवं सफाई, कृषि एवं सिंचाई, उद्योग, उर्जा आदि) का निर्माण कार्य करवाया जाता है। राज्य सरकार के द्वारा किसी वित्तीय संस्था अथवा केन्द्र सरकार से लिए गए ऋण के मूलधन का भुगतान पूँजीगत व्यय में शामिल होता है। राज्य बजट में एक वर्ष के दौरान किए जाने वाले कुल व्यय में से लगभग 20 प्रतिशत राशि पूँजीगत व्यय के अंतर्गत व्यय की जाती है। राज्य में विगत वर्षों में पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति सारणी संख्या 3 में दर्शाई गई है जिसके आधार पर निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :

- सारणी संख्या 3 के अनुसार वर्ष 2010–11 में राज्य का कुल पूँजीगत व्यय 10786 करोड़ रु. होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि राज्य में पूँजीगत व्यय के अंतर्गत राशि लगातार बढ़ती जा रही है।
- पूँजीगत व्यय के अंतर्गत किए जाने वाले व्यय में सर्वाधिक व्यय विभिन्न निर्माण कार्यों एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण पर किए जाने वाला व्यय है जो कि कुल पूँजीगत व्यय का लगभग 70 प्रतिशत होता है।

- पूंजीगत व्यय के अंतर्गत दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मद है – लोक ऋण का भुगतान जो कि कल पूंजीगत व्यय का लगभग 20 से 30 प्रतिशत होता है।
- राज्य की कुल पूंजीगत प्राप्तियों में से पूंजीगत व्यय को घटाने पर पूंजीगत आधिक्य या पूंजीगत घाटा प्राप्त होता है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय वर्ष में लगभग 1146 करोड़ रु. का पूंजीगत घाटा होने की संभावना है जबकि वर्ष 2009–10 के संशोधित बजट अनुमानों के अनुसार यह लगभग 4003 करोड़ रु. का था।
- **लोक ऋण (Public Debt)**

जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि राज्य सरकार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरी करने के लिए ऋण लेती है जो कि आन्तरिक एवं बाह्य (केन्द्रीय) ऋण के रूप में लिया जाता है। विगत वर्षों के बजट अध्ययन के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि राज्य में लोक ऋण के रूप में प्राप्तियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। लोक ऋण के रूप में राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं भुगतान को सारणी सं 5 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 5 : लोक ऋण के रूप में राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 BE	2009-10 RE	2010-11 BE
प्राप्तियां							
आन्तरिक ऋण	24144.51	3880.91	4635.78	7151.97	8845.72	8535.14	9745.54
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	-18649.22	341.23	427.56	325.90	554.00	228.03	485.50
कुल योग	5495.30	4222.14	5063.34	7477.87	9399.72	8823.17	10231.04
व्यय/भुगतान							
आन्तरिक ऋण	629.24	1144.64	1464.56	2040.63	2544.41	2544.96	2853.03
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	363.24	635.79	381.25	392.01	402.81	400.17	459.07
कुल योग	992.48	1780.43	1845.81	2432.63	2947.22	2945.13	3312.10
लोक ऋण से शुद्ध प्राप्तियां							
(प्राप्तियां–भुगतान)	4502.82	2441.71	3217.53	5045.24	6452.5	5878.04	6918.94

चोत : बजट पुस्तिका, राजस्थान वित्त विभाग

BE- बजट अनुमान, RE- संशोधित अनुमान

(घाटे के अंतर्गत ऋणात्मक चिन्ह से तात्पर्य भुगतान से है)

सारणी संख्या 5 के आधार पर विगत वर्षों के दौरान राज्य में लोक ऋण की प्रवृत्ति के बारे में निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं :

- वर्ष 2006–07 से लेकर वर्ष 2010–11 तक राज्य की लोक ऋण प्राप्तियों में लगातार वृद्धि हो रही है जबकि एक बड़ी विसंगति वर्ष 2005–06 में राज्य के आन्तरिक ऋण की प्राप्तियों में अत्यधिक वृद्धि (24145 करोड़ रु.) के रूप में देखी जा सकती है जिसका एक प्रमुख कारण केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त करने के बजाए लगभग 18649 करोड़ रु. का ऋण दिया गया अर्थात् इसका तात्पर्य यह हुआ कि राज्य सरकार द्वारा राज्य से आन्तरिक ऋण लेकर वह राशि केन्द्र सरकार को जमा कराई गई जिससे राज्य का बाह्य ऋण तो कम रहा लेकिन आन्तरिक ऋण बढ़ गया।
- अगर लोक ऋण के भुगतान/व्यय के बारे में बात की जाए तो वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा कुल 3312 करोड़ रु. का भुगतान किया जाएगा जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2005–06 के वास्तविक व्यय की तुलना में यह लगभग 234 प्रतिशत अधिक है। कहा जा सकता है कि सरकार ऋण अधिक ले रही है तो अधिक ऋण भी चुका रही है, लेकिन दोनों के बीच का अंतर

लगातार बढ़ रहा है जिससे राज्य सरकार का शुद्ध लोक ऋण अथवा देनदारियां लगातार बढ़ रही हैं।

- **कर्ज एवं उधार (Loan and Borrowings)**

पूर्व में बताए गए अनुसार राज्य सरकार जो ऋण लेती है वह ऋण राज्य के पुराने कर्ज को चुकाने, ब्याज अदायगियों के भुगतान हेतु, राज्य की अन्य वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लिया जाता है। अब यहां पर जिस कर्ज एवं उधार की बात की जा रही है वह कर्ज राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु लिया जाता है। राज्य की बजट पुस्तिकाओं में यह राशि प्रत्येक विभाग एवं मदवार दर्शाई जाती है। बजट पुस्तिकाओं में यह देखा जा सकता है कि किस विभाग द्वारा कितनी राशि कर्ज एवं उधार के रूप में ली गई। विगत कुछ वर्षों में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कर्ज एवं उधार के रूप में ली गई कल राशि की प्रवृत्ति सारणी संख्या 6 में दर्शाई गई है।

सारणी संख्या 6 : कर्ज एवं उधार के रूप में राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 BE	2009-10 RE	2010-11 BE
प्राप्तियां							
कर्ज एवं उधार – प्राप्तियां	237.61	513.90	1780.73	89.24	102.28	119.63	111.11
व्यय/भुगतान							
कर्ज एवं उधार – व्यय	434.18	312.65	287.69	340.06	249.30	500.85	40.99
(प्राप्तियां–भुगतान)	-196.65	201.25	1493.04	-250.82	-147.02	-381.22	70.12

खोत : बजट पुस्तिका, राजस्थान वित्त विभाग

BE- बजट अनुमान] RE- संशोधित अनुमान

(घाटे के अंतर्गत ऋणात्मक विन्ह से तात्पर्य भुगतान आधिक्य से है)

सारणी संख्या 6 के आधार पर विगत वर्षों में राज्य में कर्ज एवं उधार की प्रवृत्ति के बारे में निम्न निकाले जा सकते हैं :

- वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों के आधार पर राज्य की कर्ज एवं उधार से कुल पाप्तियां लगभग 111 करोड़ रु. हैं जो कि वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत कम है। वर्ष 2007-08 में राज्य को कर्ज एवं उधार के रूप में सर्वाधिक राशि लगभग 1781 करोड़ रु. प्राप्त हुई थी। अतः देखा जा सकता है कि राज्य की कर्ज एवं उधार के रूप में प्राप्तियां लगातार कम होती जा रहीं हैं।

(ii) आकस्मिकता निधी (Contingency Fund)

जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधी को परिभाषित किया गया है। निधी के तहत राज्य में अचानक होने वाली आपदाओं/त्रासदी के लिए किए जाने वाले व्यय हेतु राशि इस निधी में से व्यय की जाती है। आकस्मिकता निधी में से निकाले जाने वाली राशि समेकित निधी में ऋण के रूप में भारित होती है। इस निधी में से राशि राज्यपाल की अनुमति से खर्च कर सकती है जिसे बाद में विधानसभा में पारित करवाया जा सकता है। हाल ही के वर्षों के अंतर्गत केवल वर्ष 2008-09 में राज्य में अकाल जैसी आपदाओं के प्रबंधन हेतु 165 करोड़ रु. राज्य सरकार द्वारा व्यय किए गए हैं।

(iii) लोक खाता (Public Account)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में परिभाषित लोक खाते के अंतर्गत प्रमुख रूप से राज्य की जनता एवं वित्तीय संगठनों का जमा पैसा होता है जो कि लघु बचत, भविष्य निधी, आरक्षित निधी, जमा एवं अग्रिम आदि के रूप में सरकार के पास जमा होता है। एक निश्चित समयावधि के बाद यह राशि लोगों को लाभाशं सहित राशि लौटा दी जाती है। राज्य में लोक खाते की प्रवृत्ति को सारणी संख्या 7 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 7 : राज्य में लोक खाते की प्रवृत्ति

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 BE	2009-10 RE	2010-11 BE
प्राप्तियां							
लघु बचत एवं भविष्य निधी एवं अन्य	2470.61	2611.27	2843.55	3105.32	3249.33	3853.52	4192.65
आरक्षित निधी	589.59	1446.16	2148.13	2043.90	1524.50	-197.19	1691.96
जमा तथा अग्रिम	42951.25	50586.58	67279.18	81808.18	95703.02	93954.28	100388.51
उचंत एवं विविध	37535.84	34667.21	43607.80	71326.52	6411.24	71697.87	5237.27
प्रेषण	3139.92	3738.52	5166.54	6570.99	6612.05	7322.05	8027.05
कुल योग	86687.21	93049.74	121045.2	164854.9	113500.1	176630.5	119537.4
व्यय							
लघु बचत एवं भविष्य निधी एवं अन्य	1093.56	1366.18	1725.13	1700.10	1744.57	1774.58	2817.54
आरक्षित निधी	626.03	986.18	1048.85	1956.06	3036.27	1865.41	1817.36
जमा तथा अग्रिम	42522.45	49994.50	66722.07	81461.81	95332.51	93663.84	100096.07
उचंत एवं विविध	38438.89	35163.93	47099.05	70714.14	4768.16	67972.07	5189.01
प्रेषण	3153.08	3738.81	5180.56	6550.03	6612.05	7322.05	8027.05
कुल योग	85834.01	91249.60	121775.65	162382.14	111493.56	172597.95	117947.03
शुद्ध – लोक खाता							
(प्राप्तियां-भुगतान)	853.2	1800.14	-730.46	2472.77	2006.58	4032.58	1590.41

स्रोत : बजट पुस्तिका, राजस्थान वित्त विभाग

BE- बजट अनुमान, RE- संशोधित अनुमान

(घाटे के अंतर्गत ऋणात्मक विन्ह से तात्पर्य भुगतान आधिक्य से है)

- वर्ष 2010–11 के अंतर्गत राज्य की लघु बचत, भविष्य निधी एवं अन्य के अंतर्गत कुल प्राप्तियां लगभग 4193 करोड़ रु. जबकि कुल व्यय अथवा भुगतान लगभग 2818 करोड़ रु. के होने के अनुमान हैं जो कि गत वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः लगभग 9 प्रतिशत एवं 59 प्रतिशत अधिक है अर्थात् प्राप्तियों की तुलना में व्यय अथवा भुगतान अधिक रहा है।
- लोक खाते के अंतर्गत आय-व्यय का सबसे बड़ा स्रोत है – जमा तथा अग्रिम। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार जमा तथा अग्रिम के अंतर्गत कुल लगभग 1 लाख 388 करोड़ रु. प्राप्तिया होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है।
- लोक खाते के अंतर्गत आय-व्यय का दूसरा अन्य स्रोत है – उचंत एवं विविध जबकि इसमें भी कई बार बड़ा उत्तार-चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार उचंत एवं विविध के अंतर्गत कुल प्राप्तियां एवं व्यय क्रमशः लगभग 5237 एवं 5189 करोड़ रु.

होने का अनुमान है जो कि गत वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में दोनों में ही लगभग 93 प्रतिशत की कमी है।


- शुद्ध लोक खाते की अगर बात की जाए तो यह खाते में कुल प्राप्तियों एवं व्यय के अन्तर को दर्शाता है। सारणी संख्या 7 के अनुसार विगत वर्षों में यह लगभग ऋणात्मक रहा है अर्थात् प्राप्तियों की तुलना में व्यय/भुगतान अधिक किया जाता है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार शुद्ध लोक खाते की राशि लगभग 1590 करोड़ रु. होने का अनुमान है जबकि 2009–10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह लगभग 2443 करोड़ रु. कम है।

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में प्राप्तियां तथा व्यय

राज्य की प्राप्तियों (राजस्व एवं पूँजीगत) तथा व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद² के प्रतिशत रूप में व्यक्त करने पर ग्राफ सं. 3 के आधार पर परिणाम प्राप्त होते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं :

- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियों की तुलना में राजस्व प्राप्तियां अधिक है। देखा जा सकता है कि राज्य की राजस्व प्राप्तियां स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में लगभग स्थिर हैं अथवा कभी – कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है जबकि स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में पूँजीगत प्राप्तियों में लगातार गिरावट होती दिखाई दे रही है।
- अब अगर राज्य के स.घ.उ. के प्रतिशत की तुलना में व्यय की बात की जाए तो ग्राफ सं.3 के अनुसार राज्य का राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय की तुलना में कहीं अधिक है लेकिन एक तथ्य भी स्पष्ट है कि राजस्व व्यय की तुलना में पूँजीगत व्यय में बढ़ोतारी अधिक तेजी से हो रही है।

ग्राफ संख्या 3 : राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राज्य की प्राप्तियां एवं व्यय



स्रोत : बजट पुस्तिका, राजस्थान वित्त विभाग

BE- बजट अनुमान, RE- संशोधित अनुमान

ब. कार्यकलापों के अनुसार व्यय का वर्गीकरण (Functional Classification of Expenditure)

राज्य बजट को कार्यकलापों के आधार पर भी वर्गीकृत करके देखा जा सकता है, जिसमें राज्य के अंतर्गत विभिन्न विभागों एवं सेवाओं को कुल मिलाकर तीन प्रकार के कार्यकलाप क्षेत्रों में बांटा गया है यथा सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं एवं आर्थिक सेवाएं। सर्वप्रथम देखा जाए कि इन तीनों

² सकल घरेलू उत्पाद से तात्पर्य एक वर्ष की अवधि में स्थाई पूँजी खपत को कम किए बिना किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समस्त अन्तिम वस्तुओं एवं समर्पित सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है।

कार्यकलाप क्षेत्रों में किन-किन विभागों एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है तो इन सेवाओं का वर्गीकरण इस प्रकार है :

(i) सामान्य सेवाएँ :

- राज्य के अंग (संसद, विधानसभा, मंत्री परिषद, न्याय प्रशासन, निर्वाचन आदि),
- राजकोषीय सेवाएं (जैसे कर संग्रहण आदि)
- ब्याज अदायगी एवं ऋण का भुगतान
- प्रशासनिक सेवाएं (यथा लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, मुद्रण आदि)
- पेन्शन एवं विविध सामान्य सेवाएं तथा सहायता एवं अंशदान।

(ii) सामाजिक सेवाएँ :

- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
- जलापूर्ति एवं सफाई
- आवास और शहरी विकास
- श्रम एवं श्रम कल्याण
- अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण
- समाज कल्याण
- पोषाहार, सूचना एवं प्रचार आदि।

(iii) आर्थिक सेवाएँ :

- कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप
- ग्रामीण विकास एवं विशेष क्षेत्र कार्यक्रम
- उद्योग एवं खनिज
- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
- उर्जा एवं पेट्रोलियम
- परिवहन
- विज्ञान एवं प्रोटोगिकी
- पर्यावरण तथा सामान्य आर्थिक सेवाएं।

इन कार्यकलाप क्षेत्रों में सामान्य सेवाएँ राजकीय एवं प्रशासकीय कार्यों से जुड़ी होती हैं, सामाजिक सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है जबकि आर्थिक सेवाएँ आर्थिक क्रियाकलापों, वाणिज्यिक कार्यों आदि से संबंधित होती हैं। सारणी संख्या 8 में राज्य बजट को सेवाओं के अनुसार विभाजित करके विगत वर्षों में इसकी प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 8 : कार्यकलापों के अनुसार राज्य बजट का वर्गीकरण


(राशि करोड़ रु. में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 BE	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
सामान्य सेवाएं	10356.34	10938.82	12976.01	15295.14	16001.99	16702.10
सामाजिक सेवाएं	8934.53	10200.02	14052.87	16324.03	16871.92	18493.43
आर्थिक संवाएं	5662.93	7988.80	7266.73	8057.44	8326.09	8366.19
कुल योग	24953.80	29127.64	34295.61	39676.61	41200.00	43561.72
पूँजीगत व्यय						
सामान्य सेवाएं	186.14	984.47	-144.90	-523.35	-576.07	642.83
सामाजिक सेवाएं	2378.86	2800.31	3088.25	3624.29	2867.55	2444.50
आर्थिक संवाएं	2244.36	2770.77	2956.60	3763.28	3234.56	4345.67
कुल योग	4809.36	6555.55	5899.95	6864.22	5526.04	7433.00
कुल योग (राजस्व + पूँजीगत)						
सामान्य सेवाएं	10542.48	11923.29	12831.11	14771.79	15425.92	17344.93
सामाजिक सेवाएं	11313.39	13000.33	17141.12	19948.32	19739.47	20937.93
आर्थिक संवाएं	7907.29	10759.57	10223.33	11820.72	11560.65	12711.86
महायोग	27763.16	35683.19	40195.56	46540.83	46726.04	50994.72

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

ग्राफ संख्या 4 : राज्य व्यय का कार्यकलापों के अनुसार वर्गीकरण



स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

अतः राज्य बजट में किए जाने वाले व्यय को सेवाओं के अनुसार वर्गीकृत करने पर सारणी संख्या 8 के आधार पर निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं :

- राज्य बजट में किए जाने वाले व्यय में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया जाता है जो कि कुल व्यय की गई राशि का लगभग 40–42 प्रतिशत तक होता है। तीनों सेवाओं में से आर्थिक सेवाओं पर सबसे कम राशि (लगभग 25 प्रतिशत) व्यय की जाती है।

- वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय क्रमशः लगभग 17345 करोड़ रु., 20938 करोड़ रु. एवं 12712 करोड़ रु. है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः 12 प्रतिशत, 6 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अधिक है।
- ग्राफ सं. 4 के अनुसार राज्य में व्यय का वर्गीकरण सेवाओं के अनुसार दर्शाया गया है जिसमें स्पष्ट होता है कि राज्य में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर किया जाता है। एक तथ्य और स्पष्ट होता है कि प्रारम्भिक वर्षों में तीनों सेवाओं के मध्य अंतर बहुत कम पाया जाता था तो कि वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन वर्षों में आर्थिक सेवाओं पर व्यय में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है जबकि सामान्य एवं सामाजिक सेवाओं पर किए जाने वाले व्यय में लगातार वृद्धि होती जा रही है जिसके कारण यह अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है।

स. विभागानुसार बजट का आवंटन (Department wise budget allocation)

पूर्व में बजट को आर्थिक बिन्दुओं यथा— कर राजस्व, गैर कर राजस्व, अनुदान, पूंजीगत आय तथा व्यय, आयोजना, आयोजना भिन्न आदि को के अनुसार विश्लेषण किया गया है लेकिन यहां पर आगे बजट आवंटन को राज्य में विभागों के अनुसार वर्गीकृत करके दर्शाया गया है :

स-1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (Medical and Family Welfare Department)

स्वास्थ्य की दृष्टि से राजस्थान राज्य को बहुत अधिक उन्नत नहीं माना जा सकता है जिसके कारण राज्य को समुचित रूप से चिकित्सा एवं स्वास्थ्यगत सुविधाओं की आवश्यकता है। राज्य की जनता के स्वास्थ्य एवं कल्याण के जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उपर है। राज्य के इस विभाग का बजट सारणी संख्या 9 में दर्शाया गया है जो कि इस प्रकार है :

सारणी संख्या 9 : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	979.57	1079.90	1178.69	1682.89	1932.54	2405.40
परिवार कल्याण	157.00	165.56	250.78	344.12	414.29	488.34
योग	1136.57	1245.47	1429.47	2027.01	2346.83	2893.74
पूंजीगत व्यय						
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	65.64	67.33	95.68	24.09	35.21	34.74
परिवार कल्याण	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
योग	65.64	67.33	95.68	24.08	35.21	34.74
सकल योग (राजस्व + पूंजीगत)	1202.21	1312.80	1525.15	2051.09	2382.04	2928.48

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार BE: बजट अनुमान,

RE : संशोधित अनुमान

सारणी संख्या 9 के आधार पर निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं :

- वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कुल व्यय लगभग 2 हजार 928 करोड़ रु. अनुमानित है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों से लगभग 23 प्रतिशत अधिक है। विभाग में कुल व्यय की लगभग 99 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय

के अंतर्गत व्यय की जाती है जबकि पूँजीगत व्यय के रूप में मात्र लगभग 1 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है। पूँजीगत व्यय में कमी के कारण राज्य में चिकित्सालयों, डिस्पेसरियों, अन्य स्थाई संपत्तियों पर व्यय बहुत कम किया जाता है जबकि विभाग द्वारा खर्च की जाने वाली राशि का अधिकांशतः हिस्सा विभाग के कर्मचारियों पर, विभागीय रखरखाव पर खर्च हो जाता है।

- राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर किया जाने वाला कुल व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत होता है जबकि राज्य के कुल बजट व्यय की तुलना में विभाग पर लगभग 5 प्रतिशत राशि व्यय की जाती है।
- जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि स्वास्थ्य पर पूँजीगत व्यय में लगातार कमी आती जा रही है। वर्ष 2005–06 में विभाग का कुल पूँजीगत व्यय लगभग 66 करोड़ रु. था जो कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार लगभग 35 करोड़ रु. अनुमानित है। इस कमी के कारण पूँजीगत व्यय से विभाग के अंतर्गत स्थाई सम्पत्तियों जैसे विभागीय भवनों, चिकित्सालयों आदि के निर्माण में कमी आ सकती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के प्रारम्भ में राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्रमशः 337 एवं 1449 थी जिन्हे योजना के अंत तक क्रमशः 475 एवं 1704 किया जाना प्रस्तावित किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मार्च 2010 के अंत तक इन दोनों की संख्या क्रमशः 368³ एवं 1504⁴ थी अर्थात् योजना के 3 वर्षों में मात्र 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 55 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि योजना के आगामी 2 वर्षों में 107 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किए जाना एक विचारणीय तथ्य है। दृष्टव्य है कि इन सा.स्वा.केन्द्रों एवं प्रा.स्वा.केन्द्रों के निर्माण में किए जाने वाला व्यय पूँजीगत व्यय होता है।

स–2. शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (Education, Sports, Art and Culture)

समाज के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता दर लगभग 61 प्रतिशत है और धीरे धीरे शिक्षा के स्तर में लगातार सुधार आ रहा है। यद्यपि खेलों के मामले में राज्य आज भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं बना पाया है लेकिन राज्य की कला एवं संस्कृति आज भी विश्व विख्यात है और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप में एक मिसाल कायम करती है। अब अगर इन क्षेत्रों के अंतर्गत बजट की बात की जाए तो यद्यपि राज्य में इन तीनों क्षेत्रों हेतु राज्य सरकार के अलग–अलग विभाग निर्धारित हैं लेकिन बजट पुस्तिका में इन तीनों का बजट एक साथ दिया जाता है। यह तीनों मद राज्य की सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। विगत वर्षों में राज्य के शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के बजट की प्रवृत्ति को सारणी संख्या 10 में दर्शाया गया है।

³ स्रोत : रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार

⁴ स्रोत : रिपोर्ट, स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार

सारणी संख्या 10 : शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
सामान्य शिक्षा	4565.28	4828.47	5309.95	7522.59	9246.86	10171.72
तकनीकी शिक्षा	40.56	41.56	52.25	54.23	46.59	64.11
खेल एवं युवा सेवाएं	29.20	24.39	30.16	40.25	41.26	44.31
कला एवं संस्कृति	16.95	22.93	30.78	35.77	35.58	33.92
योग	4651.99	4917.34	5423.15	7652.84	9370.29	10314.06
पूँजीगत व्यय						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	42.42	55.51	71.29	56.50	73.32	46.60
सकल योग (राजस्व + पूँजीगत)	4694.41	4972.85	5494.43	7709.33	9443.61	10360.66

ओत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

सारणी संख्या 10 के आधार पर निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं:

- देखा जा सकता है कि सामान्य शिक्षा के अंतर्गत राजस्व व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है जैसे कि वर्ष 2005–06 में सामान्य शिक्षा के उपर किया गया वास्तविक व्यय लगभग 4565 करोड़ रु. था जो कि वर्ष दर बढ़ते-बढ़ते वर्ष 2008–09 में लगभग 7522 करोड़ रु. हो गया। इसी क्रम में वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह राशि लगभग 9247 करोड़ रु. है जो कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों हेतु लगभग 10172 करोड़ रु. अनुमानित की गई है।
- सामान्य शिक्षा के बजट में लगातार होने वाली वृद्धि का कारण राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार होते सुधारात्मक प्रयासों, 6वें वेतन आयोग की सिफारिशों लागू होना, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्त एवं व्यय होने वाली राशि तथा स्थानीय निकायों को अधिक राशि जारी करना आदि है।
- 1 अप्रैल 2010 से देश में लागू निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के कारण अनुमान लगाया जा सकता है कि आगामी वर्षों में शिक्षा के बजट में बहुत अधिक वृद्धि होगी क्योंकि जिस स्तर पर अभी बजट राशि व्यय की जा रही है वह राशि कानून को पूरी तरह अमलीजामा पहनाने कि लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें एक बात और है कि कानून को पूर्णतः लागू करने के लिए खर्च की जाने वाली राशि में से अधिकांश राशि केन्द्र सरकार द्वारा व्यय की जाएगी लेकिन फिर भी राज्य सरकार के शिक्षा बजट में भी बहुत अधिक वृद्धि होना अपेक्षित है।
- राज्य में कला एवं संस्कृति के राजस्व बजट में लगातार कमी होती दिखाई दे रही है। गौरतलब है कि राज्य की विश्वविद्यालय कला एवं संस्कृति की धरोहर को न केवल संरक्षण की आवश्यकता है बल्कि प्रोत्साहन की भी आवश्यकता है जिसके लिए बजट में कमी किए जाना समझ से परे है।
- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पूँजीगत व्यय में कमी हो रही है जैसे कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह राशि लगभग 73 करोड़ रु. थी जो कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार लगभग 47 करोड़ रु. है। इस कमी का प्रभाव इन क्षेत्रों के अंतर्गत स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण में कमी के रूप में हो सकता है।

स-३. जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास (Water Supply, Sanitation and Urban development)

जलापूर्ति, सफाई, आवास आदि एक आदमी के रोजमरा के जीवन से जुड़े ऐसे पहलु हैं जिनकी आवश्यकता सभी लोगों को होती है। दृष्टव्य है कि नियमित जल आपूर्ति एवं उसके संरक्षण को लेकर आज हर तरफ अभियान चलाया जा रहा है जबकि बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आदि के कारण सफाई एवं आवास जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है। विगत वर्षों में राज्य बजट के अंतर्गत जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास के बजट की प्रवृत्ति सारणी संख्या 11 में दर्शाई गई है जो कि इस प्रकार है :

- सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर देखा जा सकता है कि जलापूर्ति एवं सफाई के अंतर्गत राजस्व बजट की राशि लगातार बढ़ती जा रही है जबकि पूंजीगत व्यय में लगातार कमी होती जा रही है। जैसे कि वर्ष 2007-08 में इस मद हेतु किया गया राजस्व व्यय लगभग 941 करोड़ रु. था जो कि वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों के अनुसार क्रमशः लगभग 1464 करोड़ रु. एवं 1500 करोड़ रु. हो गया। दूसरी तरफ पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्ष 2007-08 में किया गया व्यय लगभग 1935 करोड़ रु. था जो कि वर्ष 2009-10 के संशोधित अनुमानों एवं 2010-11 के बजट अनुमानों के अनुसार कम होकर क्रमशः लगभग 1876 करोड़ रु. एवं 1248 करोड़ रु. हो गया है। यहां पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इन दोनों मदों के अंतर्गत पूंजीगत व्यय कम होने के कारण स्थाई संपत्तियों के निर्माण में कमी आ सकती है जबकि जलापूर्ति एवं सफाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थाई सम्पत्तियों का निर्माण इनका आधार स्तंभ होता है।

सारणी संख्या 11 : जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास के बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
जलापूर्ति एवं सफाई	907.09	918.07	943.41	1304.22	1463.75	1500.04
आवास	28.53	21.39	27.32	31.79	41.86	51.55
शहरी विकास	135.86	157.01	775.75	943.91	1088.52	1051.29
योग	1071.48	1096.47	1746.48	2279.92	2594.13	2602.88
पूंजीगत व्यय						
जलापूर्ति एवं सफाई	807.73	1245.36	1935.03	2200.70	1876.02	1247.52
आवास	15.28	14.63	10.58	2.59	5.71	6.73
शहरी विकास	7.29	849.74	529.65	666.79	646.04	897.16
योग	830.3	2109.7	2475.3	2870.1	2527.8	2151.4
सकल योग (राजस्व + पूंजीगत)	1901.78	3206.20	4221.74	5150.00	5121.90	4754.29

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

- विगत वर्षों में राज्य के शहरी विकास के बजट में अत्यधिक वृद्धि हुई है और वृद्धि केवल राजस्व व्यय में ही नहीं अपितु पूंजीगत व्यय में भी की गई है। वर्ष 2005-06 में शहरी विकास के राजस्व व्यय के अंतर्गत लगभग 136 करोड़ रु. व्यय किए गए जो कि वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों के अनुसार 1051 करोड़ रु. हो गई है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत वर्ष 2005-06 में व्यय

की गई राशि मात्र लगभग 7 करोड़ रु. थी जो कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार यह राशि 897 करोड़ रु. हो गई। बजट में इस प्रकार होती वृद्धि शहरों म प्राथमिक एवं आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि तथा रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि करेगी।

स-4. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण (Welfare of SC, ST and OBC)

समाज में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए माने जाते हैं, जिनके कल्याण के लिए सरकार सदैव प्रयासरत रहती है। राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु राज्य बजट की प्रवृत्ति सारणी संख्या 12 में दर्शाई गई है

सारणी संख्या 12 : अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अपिव के कल्याण हेतु बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय	172.87	243.14	313.93	450.39	527.81	487.06
पूंजीगत व्यय	55.48	85.10	113.51	117.28	189.58	185.71
सकल योग (राजस्व + पूंजीगत)	228.35	328.25	427.44	567.67	717.39	672.77

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

सारणी संख्या 12 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार निम्न परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं :

- वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद के राजस्व व्यय पर लगभग 487 करोड़ रु. व्यय किए जायेंगे जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों से लगभग 8 प्रतिशत कम है अतः कहा जा सकता है कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों को छोड़कर लगभग सभी वर्षों में यह राशि लगातार बढ़ती जा रही है। राशि में वृद्धि का प्रमुख कारण यह है कि हाल ही के वर्षों में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से इन जातियों के कल्याण हेतु अधिक निधियां प्राप्त हुई हैं⁵।

स-5. श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण (Labour and labour welfare)

राज्य में श्रमिकों के कल्याण हेतु राज्य में श्रम कल्याण विभाग की रथापना की गई है जो कि इस वर्ग के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत है। सारणी संख्या 13 में विगत वर्षों में राज्य के श्रमिकों के कल्याण हेतु बजट की प्रवृत्ति दर्शाई गई है।

सारणी संख्या 13 : श्रमिक एवं श्रमिक कल्याण हेतु बजट का वर्गीकरण (राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय	46.89	50.71	60.42	93.90	103.13	97.39
पूंजीगत व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल योग (राजस्व + पूंजीगत)	46.89	50.71	60.42	93.90	103.13	97.39

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

- वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों को छोड़कर लगभग हर वर्ष विभाग का बजट लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में बेरोजगार श्रमिकों के हेतु जारी की गई कल्याणकारी योजनाओं हेतु बजट लगातार कम होता जा रहा है जैसे कि वर्ष 2008–09 में इन योजनाओं पर विभाग द्वारा

⁵ पृष्ठ संख्या 26, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, राजस्थान सरकार 2008–09

किया गया वास्तविक व्यय 19.73 करोड़ रु. था जिसे 2009–10 में संशोधित अनुमानों के अनुसार 15.62 करोड़ रु कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार तो इसे लगभग आधा करके 8.81 करोड़ रु. ही कर दिया गया है।

- विभाग के गैर आयोजनागत व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है जिसका अधिकांशतः पैसा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन, भत्तों एवं विभाग के संरचनात्मक रखरखाव पर खर्च किया जाता है। वर्ष 2005–06 में विभाग का गैर आयोजनागत व्यय जो कि लगभग 45 करोड़ रु. था वर्ष 2008–09 में लगभग 74 करोड़ रु. हो गया एवं इसी क्रम में वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों एवं 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुमानों के यह राशि दोनों ही वर्षों में लगभग 87 करोड़ रु. हो गई है।

स-6. सामाजिक कल्याण एवं पोषण (Social Welfare and Nutrition)

समाज के दुर्बल, निःशक्त एवं असहाय वर्ग के उत्थान हेतु सामाजिक कल्याण एवं पोषण मद हेतु बजट आंवंटित किया जाता है जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को अलग–अलग विषय/मद आवंटित किए गए हैं। इनमें सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण हेतु राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पोषण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं प्राकृतिक आपदा के कारण राहत हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग को सौंपी गई है। विगत वर्षों में राज्य बजट के अंतर्गत इन विषयों हेतु आवंटित बजट की प्रवृत्ति सारणी संख्या 14 में दर्शाई गई है :

- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अंतर्गत वृद्धों, विकलांगों एवं विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता जैसे कि पेंशन, छात्रवृत्ति, कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु व्यय की जाने वाली आदि सम्प्रिलित होती है। सारणी संख्या 14 के अनुसार राज्य बजट के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विषय पर राजस्व व्यय हेतु लगभग 611 करोड़ रु. व्यय किए जायेंगे जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 0.04 प्रतिशत कम है एवं 2008–09 के वास्तविक व्यय की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक है।

सारणी संख्या 14 :सामाजिक कल्याण एवं पोषण हेतु बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	211.47	326.30	433.62	509.10	616.55	611.30
पोषण	255.91	300.23	363.18	474.41	629.14	924.38
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत प्रबंधन	422.87	724.92	391.60	501.87	631.54	510.07
योग	890.25	1351.47	1188.40	1485.38	1877.23	2045.75
पूंजीगत व्यय						
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.76	5.91	11.71	10.60	8.55	14.86
पोषण	10.00	33.78	14.95	0.63	16.04	0.00
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	15.76	39.69	26.66	11.22	24.59	14.86
(राजस्व + पूंजीगत) व्यय	906.01	1391.15	1215.06	1496.61	1901.82	2060.61

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

- समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल पोषण कार्यक्रम हेतु बजट आंवटन में लगातार वृद्धि हो रही है जिसके पोछे केन्द्र सरकार से प्राप्त हाने वाली राशि में वृद्धि होना है।⁶ वर्ष 2005–06 में पोषण हेतु किया गया वास्तविक व्यय लगभग 256 करोड़ रु. था जो कि वर्ष 2008–09 में बढ़कर लगभग 474 करोड़ रु. एवं वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार क्रमशः लगभग 629 करोड़ रु. एवं 924 करोड़ रु. है।

स-7. कृषि एवं संबद्ध सेवाएं (Agriculture and allied services)

चूंकि राजस्थान की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या आजीविका हेतु कृषि एवं इससे कार्यकलापों पर निर्भर है अतः यहां पर इन सेवाओं एवं क्षत्रों की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। राज्य में विगत वर्षों में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं हेतु बजट की प्रवृत्ति को सारणी संख्या 15 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 15 : कृषि एवं संबद्ध सेवाओं हेतु बजट का वर्गीकरण (राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
फसल कृषि कर्म	363.45	376.06	421.98	555.98	699.10	1320.17
मृदा एवं जल संरक्षण	62.93	60.12	31.41	42.81	58.43	67.03
पशुपालन	141.42	149.45	171.72	232.68	295.02	313.02
डेयरी विकास	2.67	1.73	3.57	0.00	1.68	0.00
मछली पालन	7.94	8.69	8.72	11.22	13.36	14.84
वानिकी एवं वन्य जीवन	176.88	187.63	201.31	311.83	503.62	421.28
खाद्य भंडारण एवं भंडारागार	0.00	4.14	0.65	0.20	0.22	0.00
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	62.74	58.90	61.10	62.29	96.72	96.72
सहकारिता	29.69	33.69	41.83	61.19	81.43	63.98
अन्य कृषि कार्यक्रम	2.87	3.06	3.32	8.74	6.12	6.51
योग	850.60	883.46	945.62	1286.94	1755.70	2303.55
पूंजीगत व्यय						
फसल कृषि कर्म	7.65	2.85	3.75	44.93	32.48	86.56
मृदा एवं जल संरक्षण	16.33	21.56	23.61	33.68	29.02	23.22
पशुपालन	0.16	1.46	0.61	0.54	0.71	0.40
डेयरी विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मछली पालन	0.35	0.51	0.36	0.09	0.15	0.11
वानिकी एवं वन्य जीवन	78.12	60.75	32.09	29.09	48.53	72.69
खाद्य भंडारण एवं भंडारागार	0.00	0.00	0.50	0.25	0.06	0.00
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	2.46	2.75	4.42	2.61	0.00	0.00
सहकारिता	8.46	15.22	20.10	13.14	30.98	16.54
अन्य कृषि कार्यक्रम	-0.03	-3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	113.51	101.79	85.44	124.33	141.93	199.52
(राजस्व + पूंजीगत) व्यय	964.11	985.26	1031.06	1411.27	1897.63	2503.07

ओत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार AE : वास्तविक व्यय BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

सारणी संख्या 15 के आधार पर निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं :

- वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार कृषि एवं संबद्ध सेवाओं हेतु कुल अनुमानित बजट लगभग 2503 करोड़ रु. है जो कि वर्ष 2008–09 के वास्तविक व्यय (1411 करोड़ रु.) एवं

⁶ पृष्ठ संख्या 26, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, राजस्थान सरकार 2008–09

2009–10 के संशोधित अनुमानों (1898 करोड़ रु) की तुलना में लगभग क्रमशः 77 प्रतिशत एवं 32 प्रतिशत अधिक है।

- सारणी में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वानिकी हेतु राजस्व बजट में कमी की गई है जसे कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों के अनुसार यह राशि लगभग 504 करोड़ रु. से घटकर वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार लगभग 421 करोड़ रु. रह गई है। दृष्टव्य है कि राजस्थान की जिस तरह की भौगालिक परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप वानिकी बजट में कमी किए जाना एक विचारणीय विषय हो सकता है।
- राज्य में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर आंविटि बजट में अभी और सुधार की आवश्यकता है क्योंकि जितनी राशि कृषि एवं अनुसंधान पर व्यय की जा रही है वह इस हेतु पर्याप्त नहीं कही जा सकती है। कृषि क्षेत्र में इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने से अनेक फसलों की उत्पादकता, गुणवत्ता आदि में और अधिक सुधार लाया जा सकता है।

स-8. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (Irrigation and flood control)

जैसा कि पूर्व में भी बताया गया है कि राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं इससे संबद्ध सेवाओं पर निर्भर है, चूंकि सिंचाई भी कृषि से ही जुड़ा हुआ एक विषय है इस कारण से राज्य में सिंचाई भी उतना ही महत्वपूर्ण विषय है जितना कि कृषि। राज्य में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण बजट की प्रवृत्ति सारणी संख्या 16 में दर्शाई गई है।

- राज्य में सिंचाई हेतु बजट राशि लगातार बढ़ती जा रही है वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु लगभग 2184 करोड़ रु. का बजट अनुमानित किया गया है जो कि वर्ष 2008–09 के वास्तविक व्यय (2011 करोड़ रु.) एवं वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों (2084 करोड़ रु.) की तुलना में क्रमशः लगभग 9 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत अधिक है।

सारणी संख्या 16 : सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण हेतु बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
मुख्य सिंचाई	693.56	742.63	783.85	849.33	921.16	957.77
मध्य सिंचाई	129.34	138.91	145.10	167.48	187.83	191.60
लघु सिंचाई	62.46	68.18	75.85	104.77	123.91	132.46
कमान क्षेत्र विकास	42.51	44.09	46.58	35.11	17.14	17.07
योग	927.86	993.81	1051.38	1156.69	1250.04	1298.90
पूंजीगत व्यय						
मुख्य सिंचाई	718.14	529.88	590.58	548.26	532.65	466.37
मध्य सिंचाई	200.51	162.15	229.02	74.31	62.66	55.00
लघु सिंचाई	65.47	61.10	56.68	173.37	148.55	231.75
बाढ़ नियंत्रण परियांजना	-	-	-	1.62	2.00	2.00
कमान क्षेत्र विकास	7.31	3.10	1.79	56.90	88.39	130.03
योग	991.42	756.22	878.06	854.46	834.25	885.15
(राजस्व + पूंजीगत) व्यय	1919.28	1750.03	1929.44	2011.15	2084.29	2184.05

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार AE : वास्तविक व्यय BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

सारणी संख्या 16 के आधार पर निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं :

- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लगभग 40 से 45 प्रतिशत राशि पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च की जाती है। वर्ष 2005–06 के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर किया गया पूंजीगत

व्यय लगभग 991 करोड़ रु. था जो कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों की तुलना में लगभग 885 करोड़ रु. हो गया है।

स-9. उर्जा (Energy)

उर्जा के अधिकांश विकल्प एक सीमित मात्रा में हैं साथ ही लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण अनियंत्रित उपभोग, असीमित विदेहन एवं बढ़ता दुरुपयोग आदि इनकी बढ़ती कीमतों के लिए तो जिम्मेदार हैं ही लेकिन आगामी समय में इनकी अभावग्रस्तता भी एक विकट समस्या बन सकती है। अतः आगामी समस्याओं के समय पर निदान हेतु इनका उचित प्रबंधन आवश्यक है। राज्य में उर्जा हेतु बजट आंवटन को सारणी संख्या 17 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 17 : उर्जा हेतु बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
विद्युत	1199.51	1742.21	3063.20	1382.68	1572.74	1682.04
पेट्रोलियम	0.00	0.42	0.49	0.56	0.92	0.88
गैर परपरागत उर्जा संसाधन	0.00	0.00	0.12	0.30	0.40	0.55
योग	1199.84	1742.63	3063.81	1383.54	1574.06	1683.47
पूंजीगत व्यय						
विद्युत	630.60	698.93	1063.00	1336.00	1430.00	2326.00
पेट्रोलियम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गैर परपरागत उर्जा संसाधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	630.60	698.93	1063.00	1336.00	1430.00	2326.00
सकल योग (राजस्व + पूंजीगत)	1830.44	2441.56	4126.81	2719.54	3004.06	4009.47

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

- राज्य में विद्युत हेतु किए जाने वाले राजस्व व्यय में वर्ष 2007–08 से लगातार कमी हो रही है। वर्ष 2007–08 में यह राशि लगभग 3063 करोड़ रु. थी जिसमें लगातार कमी होते हुए वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार यह लगभग 1682 करोड़ रु. रह गई है जिसका प्रमुख कारण हाल ही के वर्षों में विद्युत कम्पनियों को कम अनुदान जारी किए जाना रहा है गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 के दौरान पूर्ववर्ती R.S.E.B. के बकाया ऋण को समाप्त कर दिया गया था।⁷
- विगत वर्षों में गैर परपरागत उर्जा संसाधनों हेतु कोई बजट राशि आंवटित नहीं की जाती थी लेकिन विगत 3–4 वर्षों से इस मद हेतु बजट राशि आंवटित की जाने लगी है जिसका प्रमुख कारण गैर परपरागत अथवा वैकल्पिक उर्जा स्रोतों यथा सौर उर्जा जैसे क्षेत्रों की ओर सरकार प्रयासरत है। इस हेतु बजट राशि में लगातार वृद्धि हो रही है जैसे कि वर्ष 2007–08 में गैर परपरागत उर्जा स्रोतों हेतु लगभग 12 लाख रु. की राशि व्यय की गई जो कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार लगभग 55 लाख रु. हो गई है।

⁷ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट, राजस्थान सरकार 2008–09

स-10. उद्योग एवं धातु कर्म (Industries and minerals)

राज्य के आर्थिक विकास हेतु राज्य में औद्योगिक ढांचे का विकास होना अति आवश्यक है जिसके लिए राज्य सरकार उद्योगों एवं धातुकर्म के विकास हेतु बजट आवंटित करती है। विगत वर्षों में राज्य में उद्योग एवं धातुकर्म हेतु आवंटित बजट की प्रवृत्ति सारणी संख्या 18 में दर्शाई गई है।

सारणी संख्या 18 : ग्राम एवं लघु उद्योग हेतु बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
ग्राम एवं लघु उद्योग	28.03	26.14	28.16	34.89	29.71	29.75
उद्योग	27.90	36.04	33.94	32.41	38.57	42.69
अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	34.22	37.95	41.88	55.05	66.40	63.87
उद्योग एवं धातुकर्म पर अन्य व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	90.15	100.12	103.98	122.35	134.68	136.31
पूंजीगत व्यय						
ग्राम एवं लघु उद्योग	1.41	1.41	1.22	1.28	1.14	0.46
उद्योग	-0.01	-0.04	0.11	0.01	0.00	0.00
अलौह खनन एवं धात्विक उद्योग	1.40	4.11	4.85	2.88	2.95	3.26
उद्योग एवं धातुकर्म पर अन्य व्यय	23.05	9.67	15.44	10.78	15.67	1.49
योग	25.85	15.15	21.62	14.95	19.76	5.21
सकल योग (राजस्व + पूंजीगत)	116.00	115.26	125.60	137.30	154.44	141.52

लोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार AE : वास्तविक व्यय BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

सारणी संख्या 18 के आधार पर निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं :

- ग्राम एवं लघु उद्योग के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के बजट अनुमानों के अनुसार लगभग 30 करोड़ रु. व्यय किए जायेंगे जिसमें से लगभग 98 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय के रूप में व्यय की जाएगी। वर्ष 2008-09 के वास्तविक व्यय एवं 2009-10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः लगभग 16 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत कम है।

स-11. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण (Science, technology and environment)

देखा जा सकता है कि आजकल विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नये अनुसंधान एवं आविष्कारों से इस क्षेत्र में क्रांति आ गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानव को जितनी सुविधाएं प्रदान की है वहीं दूसरी ओर पर्यावरण के क्षेत्र में भी अनेक समस्याओं का आगाज हुआ है। एक तरफ जहां पर्यावरण के क्षेत्र में समस्याओं को लेकर समाज की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं वहीं दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग जैसी पर्यावरणीय समस्याओं के निदान हेतु गावों से लेकर कोपनहेगन तक प्रयास जारी हैं। इन सबसे अलग राज्य बजट के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण हेतु आवंटित बजट को सारणी संख्या 19 में दर्शाया गया है।

सारणी संख्या 19 : विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण हेतु बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4.37	3.47	5.32	6.50	8.29	8.96
पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	0.57	0.44	0.80	0.71	1.83	4.07
योग	4.95	3.90	6.12	7.21	10.12	13.03
पूँजीगत व्यय						
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.41	0.36	0.12	3.25	1.00	1.50
पारिस्थिकी एवं पर्यावरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	0.41	0.36	0.12	3.25	1.00	1.50
सकल योग (राजस्व + पूँजीगत)	5.36	4.27	6.24	10.46	11.12	14.53

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE : संशोधित अनुमान

सारणी संख्या 19 के आधार पर निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं :

- राज्य बजट के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल व्यय लगभग 11 करोड़ रु. वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु व्यय किए जायेंगे जिसमें से लगभग 81 प्रतिशत राशि राजस्व व्यय के रूप में व्यय की जाएगी।
- पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण हेतु आवटित की जान वाली राशि विगत 2 वर्षों में तुलनात्मक रूप से अधिक बढ़ी है जबकि पूर्व के वर्षों में यह 1 करोड़ रु. से कम व्यय की जाती रही है वहीं वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों एवं 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार यह राशि क्रमशः लगभग 2 करोड़ रु. एवं 5 करोड़ रु. हो गई है।

स—12. ग्रामीण विकास (Rural development)

राज्य की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है इस कारण से राज्य बजट में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना राज्य सरकार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सारणी संख्या 20 में विगत वर्षों के अंतर्गत राज्य बजट की प्रवृत्ति दर्शाई गई है जो कि इस प्रकार है:

सारणी संख्या 20 : ग्रामीण विकास हेतु बजट का वर्गीकरण

(राशि करोड़ रु. में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10 RE	2010-11 BE
राजस्व व्यय						
ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	65.58	66.64	58.16	87.96	65.69	59.00
ग्राम्य रोजगार	20.43	31.04	224.30	535.30	506.09	461.45
भूमि सुधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	854.24	863.53	1153.00	1467.75	1951.85	1380.17
योग	940.25	961.21	1435.47	2091.01	2523.63	1900.62
पूँजीगत व्यय						
ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ग्राम्य रोजगार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भूमि सुधार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	246.71	275.84	230.33	181.36	182.84	168.50
योग	246.71	275.84	230.33	181.36	182.84	168.50
सकल योग (राजस्व + पूँजीगत)	1186.95	1237.05	1665.80	2272.37	2706.47	2069.12

स्रोत : बजट पुस्तिका, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार

BE: बजट अनुमान, RE: संशोधित अनुमान

सारणी संख्या 20 के आधार पर निम्न परिणाम ज्ञात किए जा सकते हैं :

- सारणी के अनुसार ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रमों के लिए आवंटित बजट राशि में विगत वर्षों में उतार – चढ़ाव होता रहा है। वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार इस मद हेतु लगभग 59 करोड़ रु. अनुमानित किए हैं जो कि वर्ष 2008–09 के वास्तविक व्यय एवं 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में क्रमशः लगभग 49 एवं 11 प्रतिशत कम हैं।
- ग्रामीण रोजगार के अंतर्गत वर्ष 2007–08 से बजट राशि में अत्यधिक वृद्धि हुई है जैसे कि वर्ष 2006–07 के अंतर्गत ग्राम्य रोजगार पर किया गया व्यय लगभग 31 करोड़ रु. था कि वर्ष 2010–11 के बजट अनुमान के अनुसार लगभग 461 करोड़ रु. हो गया है।

5. निष्कर्ष (Conclusion) :

- राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु बजट एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत केन्द्रीय बजट (भाग 5, अनुच्छेद 112) एवं राज्य बजट (भाग 6, अनुच्छेद 202) के रूप में परिभाषित है।
- सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट एवं वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किए जाना तथा जनता को प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभों का अध्ययन किए जाना ही बजट विश्लेषण है।
- सरकार की निधियों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है जो कि – समेकित निधी, आकस्मिकता निधी एवं लोक खाता के रूप में परिभाषित है। राज्य सरकार को प्राप्त होने वाली आय एवं व्यय हेतु निर्धारित समेकित निधी सरकार का सबसे बड़ा खाता है।
- समेकित निधी को राजस्व एवं पूँजीगत खाते के रूप में विभक्त किया जाता है जिसमें आय एवं व्यय के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है।
- राजस्व खाते में प्राप्त होने वाली आय में लगभग 70 प्रतिशत आय कर राजस्व से प्राप्त होती है।
- पहले केन्द्रीय करों में राजस्थान राज्य का हिस्सा 5.60 प्रतिशत था जिसे 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद 5.85 प्रतिशत कर दिया गया है इसके कारण वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार केन्द्रीय करों में से लगभग 12252 करोड़ रु. प्राप्त होने का अनुमान है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 32 प्रतिशत अधिक है।
- राज्य सरकार को कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली प्राप्तियों में सर्वाधिक आय बिक्री कर राजस्व के प्राप्त होती है जो कि कुल कर राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत होता है।
- एक अध्ययन से प्राप्त परिणामों के मुताबिक वर्ष 1998–99 की तुलना में वर्ष 2009–10 के अंतर्गत राज्य में कुल कर राजस्व आय में लगभग 446 प्रतिशत वृद्धि एवं बिक्री कर से प्राप्त आय में लगभग 395 प्रतिशत वृद्धि हुई है जबकि इनकी तुलना में राज्य में प्रति व्यक्ति आय में मात्र 118 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सरकार को आर्थिक नीतियों का समायोजन इस प्रकार करना चाहिए ताकि कर राजस्व में वृद्धि कि साथ–साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े।
- गैर कर राजस्व के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली आय में सर्वाधिक हिस्सा ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय है जो कि कुल गैर कर राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत होता है।
- सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, सरकारी कार्यालयों के रखरखाव आदि पर किया जाने वाला व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो कि कुल व्यय का लगभग 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा होता है।
- राजस्व व्यय को तीन भागों में वर्गीकृत किया जाता है—गैर आयोजना व्यय, आयोजना व्यय, एवं केन्द्रीय प्रवर्तित आयोजना व्यय। इनमें सर्वाधिक राशि गैर आयोजना व्यय के अंतर्गत व्यय की जाती है जिसमें लगातार वृद्धि होती ला रही है।
- राज्य में योजनाओं के अंतर्गत किया जाने वाले आयोजना व्यय का हिस्सा कुल राजस्व व्यय में से लगभग 10 से 15 प्रतिशत होता है।
- राज्य में राजस्व खाते के अंतर्गत लगातार आधिक्य (राजस्व प्राप्तियां–राजस्व व्यय) प्राप्त हो रहा है अर्थात् राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियां लगातार बढ़ती जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण, जनता से लिया गया उधार, पूर्व में राज्य सरकार द्वारा वितरीत ऋण के मूलधन की वापसी एवं सरकारी सम्पत्ति के

बेचान से प्राप्त धनराशि राज्य सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। राज्य की कुल प्राप्तियों में से लगभग 20–25 फीसदी हिस्सा पूंजीगत प्राप्तियों का होता है।

- पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत लगभग 85 फीसदी हिस्सा लोक ऋणों से प्राप्त होता है।
- पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत दूसरा सबसे बड़ा ऋत लोक खाते से प्राप्त होने वाली राशि है जिसमें लघु बचत, भविष्य निधी, बीमा एवं पेंशन निधी आदि का पैसा जमा होता है। विगत वर्षों में लोक खाते में प्राप्तियों की तुलना में भुगतान अधिक हो रहा है।
- राज्य सरकार द्वारा राज्य में स्थाई सम्पत्तियों के निर्माण हेतु किया जाने वाला व्यय एवं राज्य पर भारित ऋण के मूलधन का भुगतान राज्य सरकार हेतु पूंजीगत व्यय होता है। राज्य के कुल व्यय में से लगभग 20–25 फीसदी हिस्सा पूंजीगत व्यय का होता है।
- वर्ष 2010–11 के बजट अनुमानों के अनुसार राज्य में कुल पूंजीगत व्यय लगभग 10 हजार 786 करोड़ रु. प्रस्तावित है जो कि वर्ष 2009–10 के संशोधित अनुमानों की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है।
- राज्य के कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 20 से 30 फीसदी हिस्सा लोक ऋण के भुगतान हेतु व्यय किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरी करने के लिए ऋण लिया जाता है जो कि आन्तरिक एवं बाह्य (केंद्रीय ऋण) के रूप में लिया जाता है।
- राज्य के ऋण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका एक प्रमुख कारण पूर्व में बकाया ऋणों पर लगातार बढ़ रहा ब्याज का आर्थिक बोझ है।
- राज्य में अचानक होने वाली त्रासदी/आपदा के लिए सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय आकस्मिकता निधी से किया जाता है जो कि एक बार तो राज्यपाल की अनुमति के द्वारा व्यय की जा सकती है जिसे बाद में विधानसभा में पारित करवाया जा सकता है।
- राज्य के लोक खाते में जनता का पैसा होता है जो कि जनता द्वारा लघु बचत, भविष्य निधी, आरक्षित निधी, जमा एवं अग्रिम आदि के रूप में जमा करवाया जाता है जिस पर राज्य सरकार जनता एवं वित्तीय संगठनों को ब्याज देती है। कहा जा सकता है कि राज्य के लोक खाते पर मालिकाना हक जनता का होता है और राज्य सरकार इस खाते के लिए बैंकर की तरह कार्य करती है और जमा राशि पर जनता को ब्याज भी दती है।
- राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से तुलना करने पर राज्य में राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय में अधिक वृद्धि हो रही है जबकि राज्य में कुल व्यय कर लगभग 80 फीसदी हिस्सा राजस्व व्यय के अंतर्गत व्यय किया जाता है।
- राज्य व्यय को कार्यकलापों के आधार पर तीन प्रकार की वर्गों में बांटा जा सकता है – सामान्य सेवाएं, सामाजिक संवाएं एवं आर्थिक सेवाएं।
- सामान्य सेवाएं मुख्य रूप से राजकीय एवं पशासनिक कार्यों एवं सेवाओं से संबंधित हैं जबकि सामाजिक सेवाओं का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है एवं आर्थिक सेवाएं आर्थिक क्रियाकलापों, वाणिज्यिक क्रियाकलापों आदि से संबंधित होती हैं।
- राज्य के कुल व्यय का लगभग 40 फीसदी हिस्सा सामाजिक सेवाओं पर व्यय किया जाता है जबकि सबसे सबसे कम हिस्सा आर्थिक सेवाओं पर व्यय किया जाता है।
- राज्य के कुल व्यय का लगभग 5 फीसदी हिस्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय किया जाता है।
- राज्य में सामान्य शिक्षा के बजट में लगातार वृद्धि हो रही है जबकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पश्चात अभी इसमें और अधिक वृद्धि की संभावना है।

- राज्य में जलापूर्ति एवं आवास के पूंजीगत बजट में विगत वषा में कमी हो रही है तबकि राज्य में इन समस्याओं के निराकरण हेतु बजट में वृद्धि की आवश्यकता है।
- राज्य में श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के बजट में लगातार कमी हो रही है जबकि इसके दूसरी तरफ विभाग का गैर आयोजनागत व्यय लगातार बढ़ता जा रहा है।
- राज्य में कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के अंतर्गत बजट में लगातार वृद्धि हो रही है जबकि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के बजट में नगण्य राशि आंवटित हो रही है।
- राज्य में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का लगभग 40 से 45 फीसदी बजट पूंजीगत व्यय के अंतर्गत व्यय किया जाता है।
- राज्य में उर्जा के क्षेत्र में गैर परंपरागत ऊर्जाओं में भी बजट आंवटन किया जा रहा है जो इस क्षेत्र की ओर सरकार का अच्छा प्रयास माना जा सकता है।
- राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान, पारिस्थितिकी के बजट में भी वृद्धि हो रही है जो कि इस क्षेत्र में विकास हेतु अति आवश्यक है।

संदर्भ सूची :

- लोक वित्त, डॉ बी.पी.त्यागी
- योजना, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
- मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण राजवित्तीय नीति युक्त विवरण प्रकटीकरण विवरण 2010–10, राजस्थान सरकार
- The constitution of India, P.M.Bakshi.
- Budget Books, Finance Department, Government of Rajasthan
- Public Budgeting System in India, C.L.Khandelwal
- Understanding Budget Terminologies and Process for Monitoring public Expenditure, BARC
- Budget at a Glance, Directorate of Economics and Statistics Rajasthan
- Economic Review, Directorate of Economics and Statistics Rajasthan
- Budget Study, Directorate of Economics and Statistics Rajasthan
- Abstract Rajasthan, Directorate of Economics and Statistics, Rajasthan
- Comptroller and Auditor General of India (CAG) Report, Government of Rajasthan

Important Websites :

- www.rajasthan.gov.in
- www.financerajasthan.gov.in
- www.statistics.rajasthan.gov.in

बार्क टीम

: नेसार अहमद
नगेन्द्र सिंह खंगारोत
मुकेश कुमार बंसल
महेन्द्र सिंह राव
रागिनी शर्मा
दीप्ति कोठारी
सीताराम मीणा

सलाहकार

: डा. जिन्नी श्रीवास्तव

"Budget Links Policy to People and People to Policy"



बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

62, लेन 3, केशव नगर
सिविल लाइन्स, जयपुर (राज.)
ई-मेल : info@barcjaipur.org
वेबसाइट : www.barcjaipur.org